



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1629]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2014/श्रावण 28, 1936

No. 1629]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2014/SRAVANA 28, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2014

**का.आ. 2078(अ):-** केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सभी राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियम विरचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) प्रथम परिनियम है।
- (2) ये परिनियम सभी राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) को लागू होंगे।
- (3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-

- (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों इन प्रथम परिनियमों में,-
  - (क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;
  - (ख) किसी संस्थान के संबंध में क्रमशः “प्राधिकारियों”, “अधिकारियों” “संकाय सदस्यों” से संस्थान के प्राधिकारी, अधिकारी और संकाय सदस्य या आचार्य अभिप्रेत है;
  - (ग) “बोर्ड” से संस्थान का शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

- (घ) “भवन और संकर्म समिति” से संस्थान की भवन और संकर्म समिति अभिप्रेत है;
- (ङ.) “विभाग या विद्या शाखा या केन्द्र या विद्यालय” से कोई शैक्षिक विभाग या विद्या शाखा या केन्द्र या विद्यालय से शिक्षा देने के लिए और/या किसी विशिष्ट क्षेत्र या विद्या शाखा या अंतरविषयक प्रकृति के क्षेत्रों से संबंधित शैक्षणिक और अनुसंधान क्रियाकलापों को सुकर बनाने या पूरा करने के लिए स्थापित शैक्षणिक विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय अभिप्रेत है”;
- (च) “केन्द्रीय सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) “परिषद” से संस्थान की परिषद अभिप्रेत है;
- (ज) “संस्थान” से अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नाम से ज्ञात संस्थान अभिप्रेत है;
- (झ) “अध्यक्ष” से क्रमशः बोर्ड या वित्त समिति या सिनेट या भवन और संकर्म समिति के अध्यक्ष अभिप्रेत हैं;
- (ञ) “निदेशक” से परिनियम 11 के अधीन संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;
- (ट) “उप-निदेशक” से परिनियम 12 के अधीन संस्थान का उप-निदेशक अभिप्रेत है;
- (ठ) “कुल-सचिव (रजिस्ट्रार)” से परिनियम 13 के अधीन संस्थान का कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) अभिप्रेत है;
- (ड) “वार्डन” से किसी हॉल या हॉस्टल के संबंध में परिनियम 28(2) के अधीन उसका वार्डन अभिप्रेत है;
- (ढ) “अधिष्ठाता” से परिनियम 14 के अधीन निदेशक द्वारा नियुक्त अधिष्ठाता अभिप्रेत है;
- (ण) “वित्त समिति” से परिनियम 8 के अधीन संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (त) “अध्यक्ष या प्रमुख” से विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय के संबंध में उसका अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (थ) “अध्यादेश” से संस्थान के अध्यादेश अभिप्रेत है;
- (द) “सिनेट” से परिनियम 7 के अधीन संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है;
- (ध) “कार्यक्रम” से संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है;
- (न) “नियम” से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है;
2. उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु, अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनका क्रमशः उस अधिनियम में दिए गए हैं।

### 3. प्राधिकारी :-

संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् -

- (i) शासक बोर्ड, जो अधिनियम की धारा 4 के अधीन यथा गठित है;
- (ii) सिनेट, जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन यथा गठित है;
- (iii) वित्त समिति, जो अधिनियम की धारा 8 के अधीन यथा गठित है; और
- (iv) भवन और संकर्म समिति, अधिनियम की धारा 9 के अधीन यथा गठित है।

**4. शासक बोर्ड :-**

अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,

- (1) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड संस्थान के कार्यों पर साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखेगा।
- (2) निम्नलिखित के संबंध में बोर्ड सन्धियों को अधिकथित करेगा, अर्थात्:-
  - (क) अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों को विद्या संबंधी सहायता का उपबंध करना;
  - (ख) विदेशी और भारतीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं से सहयोग;
  - (ग) औद्योगिक परामर्श उपलब्ध कराना; और
  - (घ) सदान स्वीकार करना;
- (3) बोर्ड छोटे और पूंजी संकर्म, संपदा की मरम्मत तथा अनुरक्षण और कार्यों के लिए होने वाले व्यय की सीमा और उसके अनुमोदन के संबंध में नीति को अधिकथित करेगा।
- (4) बोर्ड का गठन और उसकी बैठकों की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात्:-
  - (क) बोर्ड के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने या उनका चयन करने के हकदार प्राधिकारी को कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) द्वारा ऐसे करने के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर आमंत्रित किया जाएगा, जो साधारणतया ऐसे आमंत्रण जारी करने की तारीख से आठ सप्ताह से अधिक की न हो। बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियां भरते समय उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी;
  - (ख) बोर्ड का अधिवेशन यथा आवश्यक बहुधा होगा परंतु एक कलेंडर वर्ष के दौरान कम-से-कम चार बार होगा;
  - (ग) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष की स्वप्रेरणा से या निदेशक के अनुरोध या कम-से-कम बोर्ड के तीन सदस्यों के हस्ताक्षरित अपेक्षा पर बुलाया जाएगा;
  - (घ) बोर्ड के अधिवेशन की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के आधे से मिलकर बनेगी जिसके अंतर्गत संस्थान से बाहर का एक सदस्य सम्मिलित होगा;

**स्पष्टीकरण:-** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए “बाहर का सदस्य” से आईआईएसईआर के अध्यक्ष और/या निदेशक से भिन्न परिषद, केंद्रीय सरकार का अन्य नामनिर्देशिती अभिप्रेत है;

  - (ड.) बोर्ड के अधिवेशनों में विचार किए गए सभी प्रश्न उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है की बहुसंख्या मतों के द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। मतों के समान रूप से विभाजित होने पर अध्यक्ष अपना निर्णायक मत रखेगा;
  - (च) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, यदि वे उपस्थित हों। उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने बीच से अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए एक सदस्य को चुनेंगे;
  - (छ) प्रत्येक अधिवेशन की सूचना अधिवेशन की तारीख से 15 दिन पहले रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी। सूचना में अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय का विवरण होगा; परंतु यह कि विशेष मामलों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष अल्पसूचना पर बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं।

**स्पष्टीकरण:-** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ‘विशेष अधिवेशन’ से उसकी कार्यसूची में असाधारण अत्यावश्यकता का विषय अभिप्रेत है और ‘अल्पकालिक सूचना’ से 15 दिन से कम की सूचना अभिप्रेत है।

- (ज) प्रत्येक सदस्य को सूचना दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक या ई-मेल या फैक्स से बोर्ड के कार्यालय में दर्ज पते पर परिदत्त की जाएगी और यदि सूचना इस प्रकार से भेजी जाती है तो उसे उसी समय सम्यक रूप से परिदत्त हुआ माना जाएगा जब उसे साधारण डाक, ई-मेल या फैक्स से परिदत्त किया जाता है;
- (झ) अल्प सूचना पर बुलाए गए विशेष अधिवेशन से भिन्न बोर्ड के अधिवेशन की कार्यसूची रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों को अधिवेशन से कम से कम 10 दिन पूर्व परिचालित की जाएगी;
- (ञ) कार्यसूची में मद को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावों की सूचना रजिस्ट्रार के पास अधिवेशन से कम-से-कम एक सप्ताह पहले अवश्य पहुँच जानी चाहिए। तथापि, अध्यक्ष किसी ऐसे मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं जिसकी पहले से सम्यक रूप से सूचना नहीं प्राप्त है;
- (ट) यदि प्रक्रिया संबंधी कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता है, तो अध्यक्ष उसका विनिश्चय करेंगे और वह सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा;
- (ठ) अध्यक्ष के अनुमोदन से अधिवेशन की कार्यवाही का कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। सुझाए गए किन्हीं संशोधनों के साथ कार्यवृत्त, यदि कोई हो, को अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत्त की पुष्टि और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात् उन्हें कार्यवृत्त-पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा जिसे बोर्ड और परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए कार्यालय अवधि के दौरान प्रत्येक समय खुला रखा जाएगा;
- (ड) (i) यदि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड से छुट्टी के बिना 3 अधिवेशनों में लगातार अनुपस्थित रहता है या रहती है तो वह बोर्ड का/बोर्ड की सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी;
- (ii) कोई कारबार जो शासक बोर्ड के लिए निष्पादित करना आवश्यक हो, उसे समुचित संकल्प द्वारा उसके सदस्यों में परिचालित करके किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित कोई भी संकल्प जिसे साधारण बहुमत से अनुमोदित किया गया हो, उसी प्रकार से प्रभावी और बाध्यकारी होगा जैसे कि इस प्रकार का संकल्प बोर्ड के अधिवेशन में पारित किया गया हो।
- (ढ) बोर्ड अपनी ऐसी शक्तियां निदेशक को सौंप सकेगा जिन्हें वह समुचित समझे। निदेशक अगले अधिवेशन में बोर्ड को उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा।
- (ण) अधिनियम की धारा 11 (क) की उपधारा (ज) के अधीन सिनेट द्वारा बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संस्थान के दो आचार्यों का कार्यकाल उनके नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से दो वर्ष का होगा।

## 5. शासक बोर्ड की शक्तियां

अधिनियम में उपबंधित शक्तियों के अतिरिक्त बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (1) संस्थान में किसी ऐसे पद को समाप्त करना जिसका अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो।
- (2) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर परिनियमों को उपांतरित करना; परंतु उपांतरित परिनियम केवल कुलाध्यक्ष की अनुमति से ही लागू होगा; और
- (3) संस्थान की वित्त समिति या सिनेट की सिफारिश पर किसी अध्यादेश में उपांतरण की सिफारिश करना, जो इस शर्त के अध्यधीन होगी कि ऐसा उपांतरण अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियम के उल्लंघन में न हो।

#### 6. बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन

बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) या उनकी ओर से बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा।

#### 7. सिनेट

- (1) अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति सिनेट के सदस्य होंगे, अर्थात्:-
  - (क) आचार्यों से भिन्न विभागों या विद्याशाखाओं या शैक्षणिक केन्द्रों या विद्यालयों के प्रमुख या अध्यक्ष;
  - (ख) आचार्यों से भिन्न अधिष्ठाता और सह-अधिष्ठाता;
  - (ग) संस्थान का पुस्तकालयाध्यक्ष;
  - (घ) एक कलेंडर वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में निदेशक द्वारा एक वार्डन को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;
  - (ङ.) अध्यक्ष, बोर्ड के द्वारा निदेशक की सिफारिश पर ऐसे शैक्षणिक कर्मचारिवृंद जिनकी संख्या छह से अधिक नहीं होगी, को उनके विशेष ज्ञान के लिए दो कलेंडर वर्ष की अवधि के लिए या अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदन किया जाएगा;
  - (च) दो विद्यार्थी प्रतिनिधि जिन्हें विशेष रूप से विनिर्दिष्ट चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा परंतु उन्हें सिनेट की नीति या अनुशासनिक विषयों की बैठकों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (2). अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सिनेट की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-
  - (क) विभिन्न शैक्षणिक विभागों या विषयों या केन्द्रों या विद्यालय के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए पुनरीक्षित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार करना;
  - (ख) परीक्षा के संचालन की व्यवस्था करना, परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों को नियुक्त करना और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य विशिष्ट उपाधियां या पदवियां प्रदान करने या मंजूर करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना;
  - (ग) शैक्षणिक विभागों या विषयों या केन्द्रों या विद्यालयों के कार्यकरण से संबंधित शैक्षणिक विषयों में संस्थान के शैक्षणिक विभागों या विद्याशाखाओं या केन्द्रों या विद्यालय की सलाहकार समितियां या विशेषज्ञ समितियां या दोनों की नियुक्ति करना। संबंधित शैक्षणिक विभागों या विद्याशाखाओं या केन्द्रों या विद्यालयों के प्रमुख उक्त समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे;

- (घ) सीनेट के सदस्यों, अन्य शिक्षकों तथा बाहरी विशेषज्ञों में से ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जो ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक मामलों पर सलाह दे सके जिन्हें सीनेट द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किया जाय;
- (ङ.) विभिन्न शैक्षणिक विभागों या विद्याशाखाओं या केन्द्रों या विद्यालयों से संबद्ध सलाहकार समितियों और विशेषज्ञ और अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना (जिसके अंतर्गत बोर्ड को सिफारिशें करना भी है) और ऐसी कार्यवाई करना जो प्रत्येक मामले की परिस्थिति में अपेक्षित हो;
- (च) शैक्षणिक विभागों या विद्याशाखाओं या केन्द्रों या विद्यालय के कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा और उपयुक्त कार्यवाई करना (जिसके अंतर्गत बोर्ड को सिफारिशें करना भी है)
- (छ) पुस्तकालय के कार्यकरण का पर्यवेक्षण;
- (ज) संस्थान में अनुसंधान को बढ़ावा देना और इस कार्य में लगे हुए व्यक्तियों से अनुसंधान संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करना;
- (झ) अनुदेश और अनुशासन अनुपालन के संबंध में कक्षाओं और छात्रावास के निरीक्षण का उपबंध करना, संस्थान के छात्रों के पाठ्यचर्या के सहवर्ती कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना और बोर्ड को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (ञ) वृत्तिका (वजीफा), छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और अध्यादेश के अनुसरण में और ऐसी अन्य शर्तों जो पुरस्कार के साथ संलग्न की जाएं के अनुसरण में अन्य पुरस्कारों को स्थापित करना;
- (ट) निम्नलिखित के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना:-
- (i) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद पदों का सृजन और उसे समाप्त करना; और
- (ii) ऐसे पद से संलग्न कर्तव्य;
- (ठ) निम्नलिखित के संबंध में बोर्ड को संस्थान के समग्र शैक्षणिक विकास के संबंध में सिफारिशें करना -
- (i) शैक्षणिक विभागों या विद्याशाखाओं या केन्द्रों या विद्यालयों की स्थापना और उसे समाप्त करना; और
- (ii) इस प्रकार के शैक्षणिक विभागों या विद्याशाखाओं या केन्द्रों या विद्यालयों को शैक्षणिक और अन्य कर्मचारिवृंद का आबंटन;
- (ड) अन्य वैज्ञानिक या तकनीकी या व्यावसायिक संस्थाओं को उनके शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना;
- (ढ) संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रसार संचालित करना;
- (ण) संस्थान का शैक्षणिक कार्य करने, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति प्रदान करने, फीस रियायत, कारपोरेट जीवन और हाजिरी संबंधी ऐसे विनियमों और नियमों को तैयार करना जो इस परिनियम और अध्यादेश के अनुरूप हों।

(3) सिनेट जब भी आवश्यक हो बहुधा अधिवेशन बुलाएगा, परन्तु एक कलेंडर वर्ष के दौरान 04 बार से कम नहीं हो।

- (4) सिनेट का अधिवेशन सिनेट अध्यक्ष द्वारा या तो स्वप्रेरणा या सिनेट सदस्यों के पांचवें भाग से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके बुलाया जाएगा।
- ऐसा अपेक्षा किया गया अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन होगा जिसमें कार्यसूची के केवल उन्हीं मदों पर चर्चा होगी जिसके लिए अपेक्षा की गई है। सिनेट के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार से अपेक्षा किए जाने की सूचना दिए जाने के 15 दिनों के भीतर अपेक्षित अधिवेशन बुलाना होगा।
- (5) सिनेट के लिए सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों की गणपूर्ति बनेगी।
- (6) निदेशक, यदि उपस्थित हों तो, सिनेट के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उप-निदेशक अध्यक्षता करेंगे और निदेशक तथा उप-निदेशक दोनों की अनुपस्थिति में अधिवेशन में उपस्थित ज्येष्ठतम अधिष्ठाता अध्यक्षता करेंगे, उनके न होने पर ज्येष्ठतम आचार्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे।
- (7) कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) द्वारा कम से कम एक सप्ताह पूर्व कार्यसूची के साथ प्रत्येक अधिवेशन की सूचना को सिनेट के सभी सदस्यों में परिचालित किया जाएगा। सिनेट के अध्यक्ष किसी ऐसे मद को सम्मिलित करने की आज्ञा दे सकते हैं जिसके लिए सम्यक् सूचना नहीं दी गई हो।
- (8) उपरोक्त खंड (7) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी निदेशक विशेष अत्यावश्यक मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर सिनेट का आपात अधिवेशन बुला सकेगा।
- (9) कार्यवाही के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (10) सिनेट के अध्यक्ष के अनुमोदन से अधिवेशन की कार्यवाही का कार्यवृत्त कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) द्वारा तैयार किया जाएगा और सिनेट के सभी सदस्यों में परिचालित किया जाएगा।
- (11) आपातिक मामलों में सिनेट के अध्यक्ष सिनेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अगले अधिवेशन में अनुमोदन के लिए उनके द्वारा की कार्रवाई के बारे में सिनेट को रिपोर्ट देंगे।

## 8. वित्त समिति

- (1) प्रत्येक संस्थान के लिए एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| (1) शासक बोर्ड का अध्यक्ष                          | - | पदेन-अध्यक्ष। |
| (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति | - | सदस्य।        |
| (3) बोर्ड सदस्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति   | - | सदस्य; और     |
| (4) निदेशक   | - | पदेन सदस्य।   |
- (2) खंड (1) की क्रम संख्यांक 3 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, उस तारीख को, जिसको उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, से दो वर्ष की होगी।
- (3) वित्त समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी; अर्थात् :-
- (क) निदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की परीक्षा और संवीक्षा करना और बोर्ड को सिफारिश करना;
- (ख) संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी भी वित्तीय मामले पर या तो बोर्ड या निदेशक की प्रेरणा से अथवा स्वतः बोर्ड को अपने विचार देना और सिफारिशें करना;
- (ग) ऐसे सभी मामलों, जो संस्थान से संबंधित वित्तीय विविक्षाएं हैं, पर विचार करना और बोर्ड को सिफारिश करना।

- (4) वित्त समिति यथाआवश्यक बहुधा बैठक करेगी, जो वर्ष में कम-से-कम 03 बार होगी।
- (5) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए 04 सदस्यों की गणपूर्ति होगी।
- (6) अध्यक्ष, यदि उपस्थित हों तो, वित्त समिति की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में सदस्यगण अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए निदेशक और पदेन सदस्यों को छोड़कर अपने बीच के सदस्यों में से किसी एक का चयन करेंगे।
- (7) बोर्ड की अधिवेशन के लिए अधिवेशन की सूचना जारी करने, कार्यसूची में मदें सम्मिलित करने और कार्यवृत्त की पुष्टि करने के संबंध में उपरोक्त परिनियम के लागू होने वाले उपबंध जहां तक कि वे लागू हो सकते हैं, वित्त समिति के संबंध में भी लागू होंगे।
- (8) वित्त समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी।
- (9) अध्यक्ष अत्यावश्यक मामलों में, वित्त समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और उसके अनुसमर्थन के लिए वित्त समिति के अगले अधिवेशन में अपनी कृत कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे।

### 9. भवन और संकर्म समिति

- (1) प्रत्येक संस्थान की भवन और संकर्म समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
  - (क) निदेशक, पदेन अध्यक्ष;
  - (ख) उप-निदेशक, पदेन सदस्य;
  - (ग) अध्यक्ष, शासक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ख्यात वास्तुविद् (संस्थान द्वारा चल रहे कार्य के लिए भाड़े पर रखे गए से भिन्न हो) – सदस्य;
  - (घ) शासक बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति – सदस्य;
  - (ङ.) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी सरकारी विभाग या अभिकरण या स्वायत्त निकाय का सिविल इंजीनियर, जो अधीक्षण इंजीनियर से नीचे की पंक्ति का न हो – सदस्य;
  - (च) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी सरकारी विभाग या अभिकरण या स्वायत्त निकाय का विद्युत इंजीनियर – सदस्य;
  - (छ) कुल-सचिव (रजिस्ट्रार), पदेन सदस्य;
  - (ज) संस्थान का इंजीनियर या संस्थान की सम्पदा का भार साधक अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो – पदेन सदस्य;
  - (झ) संस्थान का इंजीनियर या संस्थान की सम्पदा का भार साधक अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सदस्य-सचिव होगा;
  - (ञ) संस्थान के इंजीनियर की अनुपस्थिति में कुल-सचिव (रजिस्ट्रार), पदेन सदस्य- सचिव होंगे;
  - (ट) सदस्य सचिव को मत का अधिकार नहीं होगा।
- (2) (क) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक की होगी जब तक वे उस पद पर बने रहेंगे जिसके आधार पर वे सदस्य हैं।
- (ख) उपरोक्त नामनिर्दिष्ट अन्य सदस्यों की पदावधि उनके नामनिर्देशन किए जाने की तारीख से दो वर्ष के लिए होगी।
- (3) भवन और संकर्म समिति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-



- (क) वह बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् सभी बड़े पूंजी संकर्म के लिए बोर्ड के निर्देशों के अधीन उत्तरदायी होगी;
- (ख) उसके पास यह शक्ति होगी कि वह बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यय सीमा के अधीन छोटे कार्यों और अनुरक्षण तथा मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए और इस प्रयोजन के लिए संस्थान के अधीन रखे गए अनुदान के भीतर आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्रदान करेगी;
- (ग) वह भवनों की लागत और अन्य पूंजी संकर्म, लघु कार्यों, मरम्मत और सजातीय कार्यों की लागत के प्राक्कलन तैयार करेगी;
- (घ) वह डिजाइन की तकनीकी संवीक्षा करने के लिए, उसके द्वारा जैसा भी आवश्यक समझा जाए, उत्तरदायी होगी;
- (ङ.) वह उपयुक्त ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने और निविदाओं की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी और उसे यह शक्ति होगी कि वह जहां कहीं आवश्यक हो, विभागीय कार्यों के लिए निदेश दे;
- (च) उसके पास निविदा के अधीन समाविष्ट नहीं की गई दरों को तय करने और ठेकेदारों के साथ दावों और विवादों का समाधान करने की शक्ति होगी;
- (छ) संस्थान की अनुमोदित उपापन निर्देशिका के अनुसार संकर्म आदेश का उपापन या उसकी प्रक्रिया को यथासंभव ई-उपापन के माध्यम से करने के लिए उत्तरदायी होगी, उपापन निर्देशिका के न रहने पर भारत सरकार के साधारण वित्तीय नियम (जी एफ आर) में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा और दोनों में किसी विरोधाभास की दशा में साधारण वित्तीय नियम अभिभावी होंगे।
- (4) भवन और संकर्म समिति संस्थान के लिए भवनों के संकर्म और भूमि के विकास के मामले में ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जिन्हें बोर्ड समय-समय पर उसे सौपेगा।
- (5) अत्यावश्यक मामलों में, भवन और संकर्म समिति के अध्यक्ष, भवन और संकर्म समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। ऐसे मामले उनके द्वारा भवन और संकर्म समिति को उसके अगले अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (6) भवन और संकर्म समिति का अधिवेशन आवश्यकतानुसार बुलाया जाएगा, जो एक वर्ष में दो बार से कम नहीं होगा।
- (7) भवन और संकर्म समिति के अधिवेशन के लिए कुल सदस्यों के आधे (1/2) सदस्यों की गणपूर्ति तैयार की जाएगी जिसमें कम से कम एक बाहरी सदस्य होगा।
- (8) अधिवेशन की सूचना, कार्यसूची में सम्मिलित मर्दाने और भवन और संकर्म समिति के अधिवेशन पर कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी लागू उपबंध शासक बोर्ड के अधिवेशनों के समरूप होंगे।
- (9) भवन और संकर्म समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि आवश्यक सहमति और अनुमोदन के लिए बोर्ड को भेजी जाएगी।

## 10. अध्यक्ष, शासक बोर्ड

1. अध्यक्ष को चयन समिति की सिफारिशों पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन पदों के संबंध में, जिन पर बोर्ड द्वारा नियुक्तियां की जा सकती हैं, वेतनमान के न्यूनतम स्तर से उच्चतर स्तर पर किसी पदधारी के प्रारंभिक वेतन को नियत करने की शक्ति होगी।

2. अत्यावश्यक मामलों में, अध्यक्ष बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और उनके द्वारा की गई कार्रवाई को उसके अगले अधिवेशन में अनुमोदन के लिए बोर्ड को सूचित करेंगे।
3. समूह 'क' के रूप में वर्गीकृत पदों या सहश पदों के लिए (वेतन बैंड-3 और उससे ऊपर) सभी नियमित नियुक्तियां इस संस्थान के अधिनियम और परिनियमों तथा उपबंधों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष, शासक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। जिसे शासक बोर्ड की आगामी अधिवेशन/अधिवेशनों में प्रस्तुत किया जाएगा।

#### 11. निदेशक

1. इस संस्थान के निदेशक की नियुक्ति अध्यक्ष को मिलाकर कम से कम पांच सदस्यों से मिलकर बनने वाली कुलाध्यक्ष द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर संविदा के आधार पर कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ऐसे सदस्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव के साथ प्रशासन, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे। परिषद के अध्यक्ष, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. निदेशक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और जो अनुसूची-क में यथानिर्धारित प्ररूप में संस्थान और निदेशक के बीच हुई सेवा की संविदा निबंधनों और शर्तों से शासित होगी।
3. निदेशक के पास विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किए गए बजट उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करने की शक्ति होगी।
4. निदेशक के पास बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित प्रत्येक मद के लिए ऐसी सीमा तक आवर्ती बजट वाली विभिन्न मदों के संबंध में निधियों के पुनर्विनियोग की शक्ति होगी।

परंतु यह कि ऐसे पुनर्विनियोग के अधीन आगामी वर्षों में कोई उत्तरदायित्व अंतर्निहित नहीं होगा। प्रत्येक ऐसे पुनर्विनियोग की यथासंभव शीघ्र, बोर्ड को सूचना दी जाएगी।

5. निदेशक के पास बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसी वित्तीय सीमा के अध्यक्षीन ऐसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त वित्त समिति या स्थायी समिति की सिफारिश पर सामान्य टूट-फूट के कारण खो गये या सेवाहीन हुए भंडार की अवसूलनीय हानि और अवसूलनीय मूल्य को बट्टे-खाते में डालने की शक्ति होगी।

परंतु यह कि ऐसी सीमा के न होने पर भारत सरकार के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम में अधिकथित साधारण प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

6. निदेशक के पास चयन समिति की सिफारिशों पर इस अधिनियम या इन परिनियमों के उपबंध द्वारा अधिनियम में बोर्ड द्वारा यथा अनुबद्ध उसमें निहित शक्तियों के अधीन उनके द्वारा की गई नियुक्तियों के पदों के संबंध में, न्यूनतम वेतनमान से उच्चतर क्रम पर किसी पदधारी के प्रारंभिक वेतन को, परंतु जहां पांच वेतनवृद्धियों से अधिक अंतर्वलित न हो, नियत करने की शक्ति होगी।

समूह 'ख' और समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत पदों के लिए (वेतन बैंड-2 और उससे नीचे के) या समतुल्य पदों पर सभी नियमित या संविदा की नियुक्तियां इस संस्थान के अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर निदेशक द्वारा अनुमोदित की जाएंगी। जिसके बारे में शासक बोर्ड को उसकी आगामी अधिवेशन (अधिवेशनों) में सूचना दी जाएगी।

7. निदेशक के पास बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए भारत में प्रशिक्षण या अनुदेश पाठ्यक्रम के लिए कर्मचारिवृद्ध के सदस्यों को भेजने की शक्ति होगी। यदि वह भारत से बाहर हो तो, इसके बारे में बोर्ड को पृथकतः सूचना दी जाएगी।

8. निदेशक के पास पूर्णतः या अंशतः अनुपयोगी घोषित किए गए भवनों के किराए की छूट या उसमें कमी करने की स्वीकृति देने की शक्ति होगी और इसकी सूचना वित्त समिति को दी जाएगी।
9. निदेशक के पास किसी भवन को, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था उससे भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए अस्थायी आबंटन की शक्ति होगी।
10. अपवादस्वरूप मामलों में, अपने स्वयं के संसाधनों से निधियों की उपलब्धता के अधीन, निदेशक के पास बोर्ड को सूचित करने के अधीन रहते हुए समेकित वेतन पर दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से अस्थायी पदों का सृजन करने की शक्ति होगी, परंतु यह कि ऐसे किसी पद का सृजन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हों, परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित किए गए पदों की संख्या न्यूनतम रखी जाएगी और किसी भी मामले में स्वीकृत पदों की समग्र उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगी।
11. निदेशक के पास लेखा संहिता में वित्तीय नियमों को लागू करने के प्रयोजन के लिए प्रमुख या विभागाध्यक्ष की शक्ति होगी। विचलन के मामले में कानून (विधि) द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षा और बोर्ड की सम्यक रूप से सहमति प्राप्त की जाएगी।
12. यदि किसी कारण से, कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) एक मास से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों, तो निदेशक कार्य ग्रहण कर सकेगा या कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) के किसी कार्य को जिसे वे उचित समझें, संस्थान के कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को सौंप सकते हैं। परंतु यदि किसी समय कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) की अस्थायी अनुपस्थिति एक मास से अधिक हो तो, बोर्ड यदि उचित समझे, तो निदेशक को एक मास से अधिक अवधि के लिए ऊपर के उल्लेख के अनुसार कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) के कार्य को ग्रहण करने या सौंपने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
13. निदेशक मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दौरान, कर्मचारिवृंद के यात्रा भत्ते, आकस्मिक व्यय और चिकित्सा भत्ते के लिए अग्रिमों की स्वीकृति के लिए और उनकी ओर से बिलों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए उप-निदेशक या किसी अधिष्ठाता या उपस्थित किसी ज्येष्ठतम आचार्य को प्राधिकृत कर सकेंगे और उन्हें निदेशक की उन शक्तियों को, जो विशेष रूप से उप-निदेशक या किसी अधिष्ठाता या उपस्थित किसी ज्येष्ठतम आचार्य को लिखित में प्रत्यायोजित की जाएं, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।
14. निदेशक अपने विवेक से, इस संस्थान के निर्बाध कार्य करने के लिए जैसा वह उचित समझें ऐसी समितियां गठित कर सकेंगे और बोर्ड को अगले अधिवेशन में उसकी रिपोर्ट करेंगे।
15. यदि अध्यक्ष के कार्यालय में मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, या यदि अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वाह करने में असमर्थ रहने की दशा में निदेशक केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इन परिनियमों के अधीन अध्यक्ष को सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेंगे।
16. निदेशक बोर्ड की अनुमति से इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा निहित अपनी किन्हीं शक्तियों, उत्तरदायित्वों और प्राधिकारों को संस्थान के एक या अधिक शैक्षणिक या प्रशासनिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।
17. इस संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाएं संस्थान के नाम पर तैयार की जाएगी और ऐसी प्रत्येक संविदा सामान्यतया इस संस्थान की ओर से निदेशक द्वारा संपन्न किया जाएगा। प्रशासनिक संविदा से भिन्न, शैक्षणिक और अनुसंधान संविदा को संपन्न करने वाले अधिकारी को ऐसी संविदा के अधीन किसी भी बात के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

**12. उप-निदेशक**

1. बोर्ड द्वारा उप-निदेशक की नियुक्ति अध्यक्ष, शासक बोर्ड द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर संस्थान के आचार्यों में से की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए वह निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शर्तों पर ऐसी समिति की अध्यक्षता करेंगे।
2. ऐसी नियुक्ति आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे अध्यक्ष, शासक बोर्ड के अनुमोदन से एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
3. वे केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मानदेय और परिलब्धियों के लिए पात्र होंगे।
4. उप-निदेशक शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्य और उच्चतर विद्या और अनुसंधान की अन्य संस्थाओं और औद्योगिक उपक्रमों तथा अन्य कर्मचारियों के साथ भी संपर्क करने में निदेशक की सहायता करेंगे।

**13. कुल-सचिव (रजिस्ट्रार)**

1. कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) की नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति पर या संविदा के आधार पर पांच वर्ष से अनधिक एक निश्चित अवधि के लिए की जाएगी।
2. कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) बोर्ड, सिनेट और उन अन्य समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेंगे जिनमें उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा अपेक्षा की जाएगी।

**14. अधिष्ठाता**

यह संस्थान शैक्षणिक कार्यों, छात्रों के विषयों पर, संकाय के विषयों पर, अनुसंधान और विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दूरस्थ पहुंच (आउटरीच) आदि के क्षेत्रों में शासक बोर्ड के अनुमोदन से अधिष्ठाता के पद रख सकेगा।

1. निदेशक शासक बोर्ड के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी सहायता हेतु तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पर्याप्त ज्येष्ठता वाले संकाय सदस्यों में से अधिष्ठाता और सह-अधिष्ठाता नियुक्त कर सकेंगे जो निदेशक के प्रसादपर्यंत अपने पदों पर रहेंगे।
2. अधिष्ठाता और सह-अधिष्ठाता संस्थान के अधिकारी समझे जाएंगे और ऐसी शक्तियों का उपयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से निदेशक द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किए जाएंगे। साधारणतया सह-अधिष्ठाता संबंधित अधिष्ठाताओं की उनके कर्तव्यों के पालन के लिए सहायता करेंगे।

**15. संस्थान के कर्मचारियों का वर्गीकरण**

1. आकस्मिक निधियों से भुगतान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर, संस्थान के कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्न रूप से होगा:-
  1. **शैक्षणिक कर्मचारिवृंद:** "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" में निदेशक, उप-निदेशक, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, उप-पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और ऐसे अन्य पद जिन्हें उसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए, सम्मिलित होंगे।
  2. **वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद:** "वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद" में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक सहायक और ऐसे अन्य पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसके बारे में विनिश्चित किया जाए, सम्मिलित होंगे।

3. **तकनीकी कर्मचारिवृंद:** "तकनीकी कर्मचारिवृंद" में अनुसंधान इंजीनियर या यंत्र माध्यम इंजीनियर या कम्प्यूटर इंजीनियर, कार्यशाला अधीक्षक, सहायक कार्यशाला अधीक्षक, तकनीकी अधिकारी, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक और ऐसे अन्य पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसके बारे में विनिश्चित किया जाए, सम्मिलित होंगे।
  4. **इंजीनियरी कर्मचारिवृंद:** "इंजीनियरी कर्मचारिवृंद" में अधीक्षण इंजीनियर, कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कनिष्ठ इंजीनियर और ऐसे अन्य पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसके बारे में विनिश्चित किया जाए, सम्मिलित होंगे।
  5. **चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारिवृंद:** "चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारिवृंद" में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, ज्येष्ठ भेषजज्ञ, भेषजज्ञ, नर्स और ऐसे अन्य पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसके बारे में विनिश्चित किया जाए, सम्मिलित होंगे।
  6. **वृत्तिक कर्मचारिवृंद:** "वृत्तिक कर्मचारिवृंद" में क्रीडा अधिकारी, सहायक क्रीडा अधिकारी, सहायक काउंसलर, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण अनुदेशक, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, सहायक कोच और ऐसे अन्य पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसके बारे में विनिश्चित किया जाए, सम्मिलित होंगे।
  7. **प्रयोगशाला कर्मचारिवृंद:** "प्रयोगशाला कर्मचारिवृंद" में ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचर और ऐसे अन्य पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसके बारे में विनिश्चित किया जाए, सम्मिलित होंगे।
  8. **प्रशासनिक और अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद:** "प्रशासनिक और अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद" में कुल-सचिव (रजिस्ट्रार), उपकुल-सचिव (डिप्टी रजिस्ट्रार), सहायक कुल-सचिव (असिस्टेंट रजिस्ट्रार), संपदा अधिकारी, ज्येष्ठ सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, जन संपर्क अधिकारी, केन्द्रीय क्रय अधिकारी, भंडार अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी, निदेशक के निजी सचिव, निजी सहायक, सहायक, कनिष्ठ सहायक (बहु-कौशल), कार्यालय सहायक (बहु कौशल), कनिष्ठ कार्यालय सहायक (बहु-कौशल), कनिष्ठ अधीक्षक, अधीक्षक, ज्येष्ठ आशुलिपिक, आशुलिपिक, ज्येष्ठ भंडारी, भंडारी, हेल्पर और ऐसे अन्य पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर इस बारे में विनिश्चित किया जाए, सम्मिलित होंगे।
  9. ऊपर के प्रत्येक पद को स्वीकृत संख्या के अनुसार प्रत्येक पद के साथ संलग्न वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के आधार पर समूह-क (वेतन बैंड-3 और उससे ऊपर), समूह-ख और समूह-ग (वेतन बैंड-2 और उससे नीचे) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।
- टिप्पणी: कोई कर्मचारी केवल किसी विशिष्ट श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने के आधार पर समान रूप से व्यवहार पाने का हकदार नहीं होगा। प्रत्येक पद की शर्तों और निबंधनों के पहले से अवधारित भर्ती नियमों या सेवा शर्तों के अनुसार कठोरता से निश्चित किया जाएगा।

## 16. नियुक्तियां

1. संस्थान में सभी पद सामान्य रूप से विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे। बोर्ड को निदेशक की सिफारिश पर कि कोई विशिष्ट शैक्षणिक पद पर आवेदन आमंत्रित करके या संस्थान के कर्मचारिवृंद के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा भरने का विनिश्चिय करने की शक्ति होगी।
- 2(i) संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए अधिनियम और नियमों के असंगत न रहते हुए बोर्ड द्वारा यथा अधिकथित पदों हेतु आरक्षण के लिए आवश्यक उपबंध करेगा।
- (ii) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पदों पर नियुक्ति करते समय संस्थान में प्रशासन और अध्यापन की दक्षता के अनुरक्षण को संगत रूप से बनाए रखेंगे।

3. संस्थान के कर्मचारियों में से विज्ञापन या प्रोन्नति द्वारा संस्थान के अधीन (संविदा पर आधारित पदों को छोड़कर) पदों को भरने वाली चयन समिति नीचे अधिकथित रीति से गठित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) शासक बोर्ड परिषद के अनुमोदन के लिए विद्यालय या विभाग-वार नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगा। संस्थान इस परिषद द्वारा अनुमोदित सूची में से समिति के गठन के लिए नाम को प्राप्त करेगा। आचार्य के पदों के मामले में, चयन समिति में निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

(1) निदेशक	अध्यक्ष
(2) विशेषज्ञ, परिषद का नामनिर्देशिति	सदस्य
(3) बोर्ड के कम से कम दो विशेषज्ञ नामनिर्देशिति (बाहरी नामनिर्देशिति)	सदस्य

(ख) सह-आचार्य, सहायक आचार्य, वैज्ञानिक काडर में समतुल्य पदों और पुस्तकालय अध्यक्ष, उप-पुस्तकालय और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों और ऐसे अन्य शैक्षणिक पदों के मामले में चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

(1) निदेशक	अध्यक्ष
(2) बोर्ड के कम से कम दो नामनिर्देशिति जिसमें कम से कम एक विशेषज्ञ होगा	सदस्य
(3) संबंधित विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय का प्रमुख, यदि पद जिसके लिए चयन विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय के प्रमुख द्वारा धारित पद से निम्न स्तर के लिए किया जाता है।	सदस्य

(ग) कुल-सचिव (रजिस्ट्रार), उपकुल-सचिव (उप-रजिस्ट्रार), सहायक कुल-सचिव (सहायक रजिस्ट्रार), संस्थान इंजीनियर, क्रीडा अधिकारी, सहायक क्रीडा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के पदों के मामले में, चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

(1) निदेशक	अध्यक्ष
(2) उपनिदेशक, यदि उपलब्ध हों	सदस्य
(3) बोर्ड के दो नामनिर्देशिति, जिसमें से कम से कम एक विशेषज्ञ हो	सदस्य
(4) कुल-सचिव (रजिस्ट्रार), कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) के पद को छोड़कर	सदस्य

(घ) ऊपर उपखंड (क), उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में सम्मिलित पदों को छोड़कर अन्य समूह (क) के मामले में चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी अर्थात्:-

(1) निदेशक	अध्यक्ष
(2) बोर्ड का एक नामनिर्देशिति	सदस्य
(3) विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या संबंधित विद्यालय के प्रमुख या कुल-सचिव (रजिस्ट्रार), जैसी भी स्थिति हो।	सदस्य
(4) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान के अधिकारियों में	सदस्य

से एक विशेषज्ञ

(ड.) समूह 'ख' और समूह 'ग' या उससे नीचे के पदों के मामलों में, जो ऊपर उल्लिखित वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :-

- |   |         |
|---|---------|
| (1) निदेशक का नामनिर्देशिति   | अध्यक्ष |
| (2) विभाग या संबंधित शैक्षणिक केन्द्र का विभागाध्यक्ष<br>या कुल-सचिव (रजिस्ट्रार) जैसी भी स्थिति हो | सदस्य   |
| (3) बोर्ड के नामनिर्देशिति के रूप में एक बाहरी विशेषज्ञ   | सदस्य   |

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की नियुक्तियों के लिए चयन समिति में बोर्ड द्वारा अनुमोदित पैनल से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य तथा अन्य पिछड़े वर्गों का एक सदस्य सम्मिलित होगा।

4. निदेशक की अनुपस्थिति में, संस्थान का कोई अधिकारी, जिसे निदेशक के वर्तमान कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है, निदेशक के स्थान पर चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
5. उपनिदेशक की अनुपस्थिति में निदेशक संस्थान के किसी कर्मचारिवृंद को उसके स्थान पर चयन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
6. जहां कोई पद संविदा के आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है वहां शासक बोर्ड का अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से ऐसी तदर्थ चयन समिति जैसी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, गठित कर सकेगा।
7. जहां किसी पद को संस्थान के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा या अस्थायी रूप से बारह मास से अनधिक की अवधि के लिए भरा जाना है वहां बोर्ड अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेगा।
8. परिनियम में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड "अनुमोदित" कार्यक्रम के अधीन ऐसी रीति से जो उपयुक्त समझे, प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति रखेगा। बोर्ड ऐसे "अनुमोदित" कार्यक्रमों की एक अनुसूची रखेगा।
9. यदि पद को विज्ञापन द्वारा भरा जाना है तो पद के निबंधन और शर्तों को विज्ञापित किया जाएगा और चयन समिति द्वारा विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा। परंतु यह कि चयन समिति पर्याप्त कारणों से, जिसे वह उचित समझे, विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पत्र पर विचार कर सकेगी। परंतु यह और कि विभिन्न संकाय पदों के लिए संस्थान के वेबसाइट पर रिक्तियों की उपलब्धता या प्रत्याशा के अध्यधीन एक चक्रीय विज्ञापन होगा और समय-समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर समुचित विभागीय समितियों द्वारा विचार किया जाएगा और उनकी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए निदेशक को भेजा जाएगा।
10. चयन समिति उन सभी व्यक्तियों के प्रत्यय पत्रों का परीक्षण करेगी जिन्होंने आवेदन किया है या जिन्हें चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति के ध्यान में लाया जाएगा या अन्यथा चयन समिति के संज्ञान में लाया जाएगा और ऐसे सुझाये गए उपयुक्त अन्य नामों पर भी यदि कोई हों, विचार किया जाएगा। चयन समिति किसी भी उम्मीदवार का जिसे वह उचित समझे, का साक्षात्कार कर सकेगी और उसके लिए अध्यक्ष के विवेक पर सभी के लिए या कुछ उम्मीदवारों के लिए जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे एक लिखित परीक्षा या परीक्षा जिसके अंतर्गत मौखिक निरूपण भी है, की परीक्षा आयोजित की जाएगी और गुणानुक्रम में क्रमांकित करके चुने हुए उम्मीदवारों के नाम यथास्थिति, अध्यक्ष, बोर्ड या निदेशक को अपनी सिफारिशें करेगी।

11. चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति मात्र से चयन समिति के किसी कार्य या कार्यवाही इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी जिन्हें ऐसी बैठक के लिए युक्ति-युक्ति समय के भीतर सूचना दी गई थी।
12. इन परिनियमों के अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के प्रयोजन से गठित कोई समिति उस पद पर नियुक्ति किए जाने तक के संबंध में अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए पात्र होगी।
13. संस्थान के अधीन संकाय और शैक्षणिक पदों से भिन्न किसी पद के लिए आवेदन करने वाले किसी उम्मीदवार से ऐसी आवेदन पत्र फीस ली जाएगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएगी।  
परंतु यह कि इन नियमों में कोई भी बात इस बारे में बोर्ड या परिषद द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
14. इस संस्थान के अधीन किसी पद के लिए साक्षात्कार के लिए चुने हुए उम्मीदवारों को इस बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
15. संस्थान में की गई सभी नियुक्तियों की सूचना बोर्ड के अगले अधिवेशन (अधिवेशनों) में दी जाएगी।

**17. स्थायी कर्मचारियों की सेवा की साधारण निबंधन और शर्तें:**

संस्थान के स्थायी कर्मचारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे, अर्थात्:-

1. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, संस्थान के अधीन पदों पर सभी नियुक्तियां साधारणतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाएंगी, जिसके पश्चात्, यदि नियुक्त व्यक्ति की पुष्टि कर दी जाती है, तो अधिनियमों और अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उस मास जिसमें वह परिषद और/या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु प्राप्त करता है, की समाप्ति तक अपने पद पर बना रहेगा:  
परंतु किसी कर्मचारी की परिवीक्षा की अवधि को ऐसी अवधियों के लिए जैसी वह ठीक समझे, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।  
परंतु यह और कि जहां बोर्ड यह विचार करता है कि छात्रों के हित में और किसी पीएच.डी कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों को शिक्षा देने और मार्ग-निर्देशन के प्रयोजन के लिए शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को पुनः नियोजित किया जाना चाहिए तो कुछ सेमिस्टर या सत्र के अंत तक, जैसा वह उचित समझे, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार बोर्ड किसी सदस्य को पुनः नियोजित कर सकेगा।  
परंतु यह भी कि जहां किसी सेमेस्टर या शैक्षणिक सत्र के समाप्त होने के पश्चात्, जैसी भी स्थिति हो, किसी सदस्य को पुनः नियोजित करना आवश्यक हो जाए तो बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियमों की सुसंगति में ऐसी अवधि के लिए जैसा वह आवश्यक समझे किसी सदस्य को पुनः नियोजित कर सकेगा।
2. प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति मानसिक दृष्टि से स्वस्थ प्रमाणित किया गया है और वह बोर्ड द्वारा उसकी ओर से किसी मनोनीत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सक दृष्टया योग्यता से भारत में सेवा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है। परंतु बोर्ड पर्याप्त कारणों से किसी विशिष्ट मामले या किसी प्रवर्ग के मामले में बोर्ड द्वारा अधिकथित ऐसी शर्त के अध्यधीन यदि कोई हो तो चिकित्सा आवश्यकताओं में छूट प्रदान कर सकता है।



3. केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों तथा निबंधन और शर्तों के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी भी समय कम-से-कम तीन मास का लिखित नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी को देकर सेवानिवृत्ति ले सकता है।
4. संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में निरत रहेगा और बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार और/या निदेशक की पूर्वानुमति से शैक्षणिक कार्य और परामर्शी व्यवसाय से भिन्न किसी भी व्यापार या कारोबार या राजनैतिक पार्टी क्रियाकलाप या किसी अन्य कार्य से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वचनबद्ध नहीं होगा जो उसके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करें।
5. परिवीक्षा की अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी को कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को बिना नोटिस दिए और उसके लिए बिना कारण बताए सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
6. यदि बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय आधारों से यह प्रमाणित होने पर कि कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य का सेवा में बने रहना उपयुक्त नहीं माना जाता है या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यवहार्य नहीं माना जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास के नोटिस या उसके बदले तीन मास के वेतन का भुगतान कर उसे सेवानिवृत्त या उसकी सेवाएं समाप्त करने की शक्ति रखेगा।
7. नियुक्ति प्राधिकारी को किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवानिवृत्ति) नियम 1964, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, के अनुसार सेवानिवृत्ति से पहले समय-पूर्व सेवानिवृत्त करने का अधिकार होगा।
8. कोई कर्मचारी किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता जो उसे सेवा में स्थायी रूप में बने रहने में अक्षम कर देती है, के कारण निम्नलिखित शर्तों पर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है:-
  - (i) कर्मचारी समुचित माध्यम से अपना आवेदन भेजेगा और बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा;
  - (ii) परंतु यह कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा रिपोर्ट सेवानिवृत्ति की तारीख से पश्चात् की न हो।
9. बोर्ड को छंटनी या मित्ययिता के कारण कर्मचारिवृंद के किसी भी सदस्य को लिखित में छह मास का नोटिस या उसके बदले छह मास के वेतन का भुगतान कर उसकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा।
10. संस्थान का कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास का नोटिस देकर अपनी सेवाएं समाप्त कर सकता है: परंतु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से या तो इस अवधि को कम कर सकता है या संबंधित कर्मचारी को उस शैक्षणिक सत्र के पूरा होने तक सेवाएं जारी रखने के लिए कह सकता है जिस सत्र में ऐसा नोटिस प्राप्त हुआ है।
11. संस्थान के कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट यात्रा और दैनिक भत्तों के पात्र होंगे।
12. संस्थान के कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार और मेडिकल बीमा के विशेष उपबंधों, योजनाओं चिकित्सकीय सेवा प्रदाताओं की मान्यता तथा समय-समय पर शासक बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार स्वयं और अपने आश्रितों पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।
13. संस्थान के कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1964 में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर यथा अधिकथित आचरण नियमों के अतिरिक्त परिनियम के अधीन बनाए गए आचरण विनियमों से शासित होंगे।

**18. निलंबन, शास्तियां, अनुशासनिक कार्यवाहियां**

(1) निदेशक, संस्थान में नियुक्त कर्मचारी को वहां निलंबन के अधीन रख सकेगा, जहां:-

(i) उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई अनुष्ठिता है या लंबित है; या

(ii) किसी दांडिक अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है :

परंतु जहां कोई कर्मचारी 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए चाहे किसी दांडिक आरोप में या अन्यथा, अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है वहां ऐसा कर्मचारी इस प्रकार उसको निरुद्ध किए जाने की तारीख से सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा निलंबन के अधीन रखा गया समझा जाएगा।

(2) निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी निम्नलिखित संदायों के लिए हकदार होगा, अर्थात् :-

(क) छुट्टी वेतन के बराबर की राशि का निर्वाह भत्ता, जिसे कर्मचारी ने तब प्राप्त किया होता यदि वह अर्धवेतन छुट्टी पर रहा होता और ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो :

परंतु जहां निलंबन की अवधि छह मास से अधिक है, वहां निर्वाह भत्ता निम्न प्रकार होगा :

(i) पहले छह मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते को पचास प्रतिशत से अनधिक की उपयुक्त राशि तक बढ़ाया जा सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में, निलंबन की अवधि को, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, बढ़ाया गया है जिसे सीधे संबद्ध कर्मचारी के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है;

(ii) पहले छह मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते में पचास प्रतिशत से अनधिक की उपयुक्त राशि तक की कटौती की जा सकेगी यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में निलंबन की अवधि को, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, बढ़ाया गया है जिसे सीधे संबद्ध कर्मचारी के कारण हुआ माना जा सकता है;

(ख) मंहगाई भत्ते की दर उप-परिनियम 2 के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की यथास्थिति, बढी हुई या घटी हुई राशि पर आधारित होगी।

(ग) समय-समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य प्रतिकारात्मक भत्ता, जो ऐसे वेतन के आधार पर जिसको कर्मचारी सदस्य ऐसे भत्तों के आहरण के लिए अधिकथित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए निलंबन की तारीख को प्राप्त कर रहा था।

(3) कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्मचारी यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(4) शासक बोर्ड की यदि यह राय है कि मामले की परिस्थितियों में कर्मचारी के निलंबन का समुचित आधार नहीं है तो ऐसे आदेश को प्रतिसंहारित कर सकेगा।

(5) किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी:-

(i) परिनिंदा;

(ii) वेतन वृद्धि को रोकना;

(iii) प्रोन्नति को रोकना;

(iv) उपेक्षा या आदेशों के भंग से संस्थान को कारित हुई किसी धनीय हानि का संपूर्ण या उसके भाग की उसके वेतन से वसूली;

(v) संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर (जहां कहीं लागू हो) प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नतर श्रेणी या पद में या निम्नतर काल-वेतनमान में या काल-वेतनमान के निम्नतर क्रम में अवनति करना;

(vi) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(vii) सेवा से हटाया जाना जो संस्थान के अधीन भविष्य के किसी नियोजन के लिए कोई निरर्हता नहीं होगी;

(viii) सेवा से पदच्युत करना जो साधारणतया संस्थान के अधीन भविष्य के किसी नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

(6) किसी कर्मचारी पर उपरोक्त (v) से (viii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों को उसके विरुद्ध अधिरोपित करने का कोई आदेश जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया है उसके अधीनस्थ के किसी प्राधिकारी द्वारा और कर्मचारिवृंद के संबंधित सदस्य को कोई जांच किए जाने और कर्मचारी को इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(7) उपरोक्त (i) से (iv) पर विनिर्दिष्ट शास्तियों को किसी कर्मचारी पर अधिरोपित करते हुए उसके विरुद्ध कोई आदेश जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया है, उससे अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा और जब तक कि संबद्ध कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यावेदन करने का एक अवसर नहीं दिया गया हो, तब तक पारित नहीं किया जाएगा:

परंतु उप परिनियम (5) और उप-परिनियम (6) के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :-

- (क) जहां कोई कर्मचारी ऐसे आचरण के जिससे किसी दांडिक आरोप पर उसका दोष सिद्ध होता हो, आधार पर पदच्युत किया गया है या हटाया गया है या रैंक में कमी की गई है;
- (ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसके रैंक में उसको कम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं यह समाधान हो गया है कि उस प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना युक्तियुक्त रूप से संभव नहीं है; या
- (ग) जहां कुलाध्यक्ष का समाधान हो गया है कि राज्य की सुरक्षा के हित में उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाना समीचीन नहीं है।

(8) यदि उपरोक्त ऐसे व्यक्ति के संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि खंड 7 के अधीन उपखंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट कोई अवसर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य है तो, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या रैंक में उसको कम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) निदेशक द्वारा उसके विरुद्ध पारित शास्ति के अधिरोपण किए जाने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी आदेश के विरुद्ध शासक बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई और अपील करने का हकदार नहीं होगा।

(10) किसी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने के बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश के विरुद्ध कुलाध्यक्ष को अपील करने का हकदार होगा।

(11) यथास्थिति, शासक बोर्ड या कुलाध्यक्ष द्वारा कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक वह उस तारीख से जिसको अपील किए जाने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे आदेश से व्यथित कर्मचारी प्राप्त करता है, तीन मास की अवधि के भीतर नहीं की गई हो:

परंतु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय से अपील प्रस्तुत न करने के लिए समुचित कारण है।

(12) प्राधिकारी, जिसको शास्ति अधिरोपित किए जाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है, निदेशक या बोर्ड से मामले का अभिलेख, स्वप्रेरणा से या अन्यथा मांग सकेगा, ऐसे मामले में पारित किसी आदेश का यथास्थिति पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे।

(13) इस परिनियम में किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा मामले के अभिलेख को मांगने के पश्चात् ऐसे आदेश का जो इस परिनियम के अधीन किया गया है, पुनर्विलोकन कर सकेगा, और

- (क) आदेश की पुष्टि, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा;
- (ख) किसी शास्ति को अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त, कम, पुष्ट या बढ़ा सकेगा;
- (ग) और मामले को उस प्राधिकारी को जिसने आदेश किया है विप्रेषित कर सकेगा या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी और कार्रवाई या जांच का, जैसा वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, निदेश देते हुए भेज सकेगा, या
- (घ) ऐसा कोई अन्य आदेश जैसा वह ठीक समझे पारित कर सकेगा:

परंतु किसी शास्ति को अधिरोपित या बढ़ाने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को किसी ऐसे अभ्यावेदन को जिसको वह ऐसी बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध करने की वह इच्छा करे, करने का अवसर न दिया गया हो।

(14)(क) जब संस्थान का कोई ऐसा कर्मचारी जो पदच्युत, हटाया या निलंबित किया गया हो, पुनःस्थापन के आदेश देने में सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में विचार करेंगे और विनिर्दिष्ट आदेश करेंगे :-

(i) इयूटी से अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिए संस्थान के कर्मचारी को संदत्त किए जाने वाले वेतन और भत्ते के संबंध में; और

(ii) क्या उक्त अवधि को कर्तव्य (इयूटी) में बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा या नहीं;

(ख) जहां ऐसा सक्षम प्राधिकारी यह धारित करता है कि संस्थान का कर्मचारी पूर्ण रूप से आरोप मुक्त हो चुका है या निलंबन की दशा में यह पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण था तो संस्थान के कर्मचारी को ऐसा पूरा वेतन दिया जाएगा जिसके लिए वह हकदार होता यदि वह यथास्थिति पदच्युत, हटाया या निलंबित नहीं किया गया होता और ऐसे किसी भत्ते को भी जिसको उसके पदच्युत, हटाए या निलंबित किए जाने 3233से पूर्व प्राप्त करता, दिया जाएगा;

(ग) अन्य मामलों में संस्थान के कर्मचारिवृंद के सदस्यों को ऐसे वेतन या भत्तों को ऐसे अनुपात में दिया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जो ऐसे भत्तों के लिए अनुज्ञेय हैं;

(घ) खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में इयूटी से अनुपस्थिति की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए इयूटी में बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा;

(ङ.) खंड (ग) के अधीन आने वाले मामलों में इयूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि को इयूटी में बिताई गई अवधि के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा निदेश नहीं करता है कि उसको किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उसे ऐसा माना जाएगा।

## 19. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा की साधारण निबंधन और शर्तें

- (1) अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में एक मास के नोटिस पर किसी भी समय समापन के अधीन होगी। जब तक संस्थान और कर्मचारी द्वारा अन्यथा सहमति न हुई हो, ऐसे नोटिस की अवधि एक मास की होगी।
- (2) ऐसे कर्मचारी की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें उस रूप में होंगी जैसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएं।
- (3) संस्थान के सभी अस्थायी कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियम, 1965 और संस्थान के अधिशासी बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होंगे।

## 20. संविदा पर नियुक्ति

- (1) इस परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, परिषद के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से बोर्ड, विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए संविदा पर किसी विख्यात शिक्षाविद् या अनुसंधान क्षेत्र के व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी। उसके पश्चात् यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- (2) अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए बोर्ड किसी व्यक्ति को संविदा पर पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विहित वेतनमान में और सुसंगत पदों के लिए लागू निबंधन और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा। उसके पश्चात् यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अध्यक्ष यदि उपयुक्त समझता है तो ऐसी तदर्थ चयन समिति का गठन करेगा जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो।

## 21. त्यागपत्र

इस प्रथम परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संस्थान का कोई कर्मचारी त्यागपत्र दे सकेगा यदि:

- (i) वह स्थायी कर्मचारी है तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल तीन मास का नोटिस देने के पश्चात् या उसके बदले में तीन मास के वेतन का भुगतान करके; और
- (ii) वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल एक मास का नोटिस देने के पश्चात् या उसके स्थान पर एक मास के वेतन का भुगतान करके,  
परंतु यह कि ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख को जिसको त्यागपत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, से प्रभावी होगा।

## 22. सेवा निवृत्ति के फायदे

संस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार की नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा शासित होंगे और ऐसी स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति के जो फायदे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर सेवानिवृत्त होने पर लागू होते हैं, वे सभी फायदे संस्थान के कर्मचारियों को प्राप्त होंगे।

## 23. अवकाश और छुट्टी

संस्थान के कर्मचारी, बोर्ड द्वारा यथा अधिकथित अवकाश और छुट्टी के हकदार होंगे, जिसके न हो सकने पर उनको सरकार के कर्मचारियों पर लागू अवकाश और छुट्टी देय होगा।

## 24. कर्मचारिवृंद के लिए निवास-संबंधी स्थान

1. संस्थान का कर्मचारी बोर्ड द्वारा समय-समय पर इन परिनियमों के अधीन विरचित नियम के अनुसार संस्थान के परिसर के भीतर किसी मकान के आबंटन के लिए पात्र होगा, यदि उपलब्ध हो।
2. संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को केवल निवास के उपयोग के लिए एक असुसज्जित घर, संस्थान के परिसर के भीतर आबंटित किया जा सकता है, यदि उपलब्ध हो, जिसमें उससे ऐसी शर्तों, जो कि संस्थान के मकान आबंटन नियमों में अधिकथित की जाएं के अध्यक्षीन रहने की अपेक्षा की जाएगी।
3. संस्थान के किसी ऐसे कर्मचारी से, जिसको निवास-संबंधी उपयोग के लिए मकान आबंटित किया गया है, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा-नियत दर पर अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी।
4. अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त जल, विद्युत और दी गई किसी अन्य सेवा के प्रभार कर्मचारी से वास्तविक आधार पर या अत्यधिक आर्थिक कठिनाई के मामलों में ऐसी दरों पर, जैसी कि समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, वसूल किए जाएंगे।
5. बोर्ड, यदि संस्थान के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो किसी प्रवर्ग के कर्मचारी से कोई अनुज्ञप्ति फीस उद्ग्रहित किए बिना या रियायती दरों पर ऐसी फीस उद्ग्रहित करते हुए सुसज्जित या असुसज्जित निवास सुविधा आबंटित कर सकेगा।

#### 25. विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय

बोर्ड, सिनेट की सिफारिशों पर, किसी विभाग या विद्याशाखा, या केन्द्र या विद्यालय का सृजन या उपांतरण या समाप्त कर सकता है या उसका किसी अन्य विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय में विलय कर सकता है।

#### 26. विभागों या विद्याशाखाओं या केन्द्रों या विद्यालयों के अध्यक्ष

1. संस्थान का प्रत्येक विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय किसी अध्यक्ष के भार-साधन में रखा जाएगा, जिसका निदेशक द्वारा संस्थान के आचार्यों या सह-आचार्यों में से चयन किया जाएगा।  
परंतु यह कि यदि परिस्थितियां मांग करती हैं तो निदेशक अस्थाई रूप से स्वयं किसी विभाग या विद्याशाखा, या केन्द्र या विद्यालय का प्रभार ग्रहण कर सकता है या उप-निदेशक या अन्य विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय के किसी आचार्य के भारसाधन में छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए रख सकता है।
2. निदेशक के साधारण नियंत्रण के अध्यक्षीन, विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय का अध्यक्ष या विभाग प्रमुख विभाग या केन्द्र या विद्यालय के संपूर्ण कार्यकरण के लिए जिम्मेदार होगा।
3. विभाग या विद्याशाखा या केन्द्र या विद्यालय के अध्यक्ष या प्रमुख का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि संस्थान के प्राधिकारियों का और निदेशक के विनिश्चयों को निष्ठापूर्वक पूरा किया जाता है और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएंगे।
4. वह केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट मानदेय और परिलब्धियों के लिए पात्र होगा।

#### 27. अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, प्रदर्शनियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थापन:

संस्थान ऐसी वृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, प्रदर्शनियां, पदक, पुरस्कार और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और पोस्ट-डॉक्टोरल विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले अन्य पुरस्कार संस्थापित और प्रदान करेगा जो अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और परिषद के विनिश्चयों के संगतता में विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

**28. फीस और फीस के अधित्यजन का अधिनिर्णय**

1. संस्थान विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और पोस्ट-डॉक्टोरल विद्यार्थियों को ऐसी फीस प्रभारित करेगा, जो परिषद के विनिश्चय और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित नीतियों से सुसंगत बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए।
2. संस्थान समय-समय पर परिषद के निर्देशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार की नीति से सुसंगत और बोर्ड के विनिश्चय के अनुसार छात्रों और अनुसंधान छात्रों के लिए फीस का अधित्यजन करेगा।
3. फीस जमा करने, विलंब के लिए जुर्माने का, संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों में नाम का प्रवेश या नामों का विलोपन और ऐसे अन्य मामले जो सिनेट द्वारा विनिश्चित किए जायं, अध्यादेशों में अधिकथित किए जाएंगे।

**29. हॉल या छात्रावास**

1. संस्थान उन छात्रों के लिए जिसके अंतर्गत अनुसंधान छात्र भी हैं, जो संस्थान में निर्मित हॉल या छात्रावासों में रह सकें, हॉल या छात्रावास बनाएगा और उनका रख-रखाव करेगा। संस्थान समय-समय पर उक्त प्रयोजन के लिए अध्यादेश बना सकता है।
2. (i) प्रत्येक हॉल या छात्रावास के लिए एक या अधिक वार्डन और सहायक वार्डनों और अन्य कर्मचारिवृंद की इतनी संख्या हो सकती है जितनी कि बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए।  
(ii) निदेशक हॉल या छात्रावासों में मुख्य वार्डन, वार्डनों, सहायक वार्डन और अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगा।
3. उपखंड (2) के अधीन नियुक्त मुख्य वार्डन, वार्डन, सहायक वार्डन और अन्य कर्मचारिवृंद केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानदेय और परिलब्धियों के लिए पात्र होंगे।

**30. मानद (सम्मानिक) उपाधियां प्रदान करना**

1. (i) संस्थान, कतिपय असाधारण और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मानद (सम्मानिक) उपाधियों को प्रदान कर सकेगा।  
(ii) मानद (सम्मानिक) उपाधियों को प्रदान करने के लिए सभी प्रस्ताव सिनेट द्वारा किए जाएंगे और कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

**31. नियम बनाना**

1. उपर्युक्त परिनियमों में इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नीचे उल्लिखित परिनियमों के संबंध में नियम ऐसे होंगे जो कि परिषद द्वारा अनुमोदित होंगे और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 और केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत, यदि कोई है, से असंगत नहीं होंगे।
2. जहां भी परिषद या शासक बोर्ड या संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा नियमों, उपबंधों, सुविधाओं और फायदे को प्रख्यापित नहीं किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे फायदे के लिए बनाए गए नियम, उपबंध और सुविधाएं संस्थान या उसके कर्मचारियों पर लागू होंगे।
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा अंगीकृत और/या बनाए गए नियम, परिषद या केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी उपांतरण या निदेश की सीमा तक लागू रहेंगे।

**राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)**

### अनुसूची 'क'

“राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17(1) के निबंधनों में, कुलाध्यक्ष, संस्थान के निदेशक के रूप में पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का सहर्ष अनुमोदन करते हैं और ऐसे नियुक्त व्यक्ति ने इसमें इसके पश्चात् वर्णित निबंधनों और शर्तों पर ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब उपस्थित साक्षियों और उनके पक्षकर यहां यथास्थिति निम्नलिखित रूप में सहमत हैं:-

- (1) इस सेवा करार के संबंध में सदैव यह माना जाएगा कि वह अधिनियम में संस्थान को आच्छादित करने वाले उन उपबंधों के विषय में ऐसे प्रविष्ट है जैसे कि समय-समय पर स्थायी पुष्टि प्रदान किए गए कर्मचारियों को लागू हैं।
- (2) नियुक्त व्यक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए करार के अधीन सेवा पर होगा।
- (3) नियुक्त व्यक्ति संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा और वह उक्त अधिनियम में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों (ड्यूटी) के साथ संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवा करेगा।
- (4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूर्ण समय संस्थान की सेवा में निरत रहेगा और वह आचरण के नियमों और उक्त अधिनियम और परिनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा सेवा के दौरान या सेवा के संबंध में प्राप्त की गई किसी जानकारी और उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति को सभी प्रकार से समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन माना जाएगा।
- (5) नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा की अवधि के दौरान, सिवाय निलंबन की किसी अवधि के और साथ ही बिना वेतन की छुट्टी की किसी अवधि के, भारतीय आयकर के अधीन रहते हुए 80,000, (नियत) रुपए के वेतनमान का हकदार होगा परंतु यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्त अवधि के दौरान उसका वेतन और भत्ते वे होंगे, जो शासक बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता आदि जैसे भत्तों का आहरण करेगा, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय किए जाएं।
- (6) इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाए, नियुक्त व्यक्ति वेतनमान के पुनरीक्षण और ऐसे सेवानिवृत्ति फायदों में, जिन्हें संस्थान द्वारा संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा, ऐसी सेवा, जिससे वह तत्समय संबंध रखता है, के निबंधनों और शर्तों में इस विलेख के विद्यमान होने की तारीख के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी किया गया हो, किन्हीं समुन्नति के फायदों का, संस्थान द्वारा यथा अवधारित पूर्ण रूप से या भाग के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसी समुन्नति के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस प्रकार प्रवृत्त होगा जैसे कि उसे इस विलेख के उपबंधों को उस सीमा तक उपांतरित किया गया है।
- (7) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैर प्रावकाश कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा।
- (8) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा यथा स्वीकृत रूप में संस्थान के परिसर में अनुज्ञति फीस रहित सुसज्जित कार्यालय-सह आवास का हकदार होगा।
- (9) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों में उपबंधित किए गए अनुसार चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा।



- (10) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए, नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोक हित में स्थानांतरण पर मानते हुए उसे केंद्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार के समतुल्य रैंक के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते का संदाय किया जाएगा। यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के किसी कार्य के हित में यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो वह समय-समय पर प्रवृत्त संस्थान के यात्रा भत्ते नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और मान का हकदार होगा। इसी प्रकार नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।
- (11) नियुक्त व्यक्ति द्वारा, उसकी लागत पर उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से प्राप्त होने वाली किसी रकम को उस क्षेत्र में उसे कार्य को करते रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दे दिया जाएगा। उसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्शी सेवा और उसके फायदों को धारित करने की अनुज्ञा भी दी जाएगी।
- (12) संविदा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा को संस्थान द्वारा इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय, तीन कलेंडर मास की लिखित नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताएं समाप्त किया जा सकेगा। परंतु संस्थान सदैव उपबंधित नोटिस के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को तीन मास की मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि का संदाय कर सकेगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कलेंडर मास की लिखित नोटिस देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकेगा।
- (13) नियुक्त व्यक्ति को उसकी विशेषज्ञता के विभाग में आचार्य की हैसियत अनुज्ञात की जाएगी और उसे उसकी सुविधानुसार उक्त विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।
- (14) ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन अधिनियम, 2012 या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और उसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त परिनियमों द्वारा शासित होगा।

साक्ष्य स्वरूप ऊपर लिखित प्रथम दिवस और वर्ष को संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने-अपने हाथ से हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के लिए

हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया

नियुक्त व्यक्ति के द्वारा पते के साथ हस्ताक्षर करने वाले साक्षियों की उपस्थिति में परिदत्त किया गया..... की उपस्थिति में..... साक्षियों..... के हस्ताक्षर पते के साथ ..... निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान.....।

[मिसिल सं. - 40-29/2012- टी. एस-vii (Vol. II)]

अमित शर्मा, अपर सचिव

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**  
**(Department of Higher Education)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2014

**S.O. 2078(E):—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the National Institutes of Technology Science Education and Research Act, 2007, (29 of 2007) the Central Government, with the prior approval of the Visitor, hereby frames the following, First Statutes for all Indian Institutes of Science Education and Research, namely:-

**1. Short title and commencement :-**

- (1) These Statutes may be called the First Statutes of the Indian Institutes of Science Education and Research (IISER).
- (2) They shall apply to all Indian Institutes of Science Education and Research (IISER).
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions :-**

- (1) In these First Statutes, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Act" means the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007;
  - (b) 'Authorities', 'Officers' and "Faculty Members", in relation to an institute, respectively means, the authorities, officers and faculty members or professors of the Institute;
  - (c) "Board" means the Board of Governors of the Institute;
  - (d) "Building and Works Committee" means the Building and Works Committee of the Institute;
  - (e) "Department or Discipline or Centre or School" means an Academic Department or Discipline or Centre or School established to impart instructions and/or for carrying out or facilitating the academic and research activities relating to any particular area or discipline or areas of inter-disciplinary nature;
  - (f) "Central Government" means the Government of India;
  - (g) "Council" means the Council of the Institutes;
  - (h) "Institute" means the Institute known as the Indian Institute of Science Education and Research listed in second schedule to the Act;
  - (i) "Chairperson" respectively means the Chairperson of the Board or Finance Committee or Senate or Building and Works Committee;
  - (j) "Director" means the Director of the Institute under Statute 11;
  - (k) "Deputy Director" means the Deputy Director of the Institute under Statute 12;
  - (l) "Registrar" means the Registrar of the Institute under Statute 13;
  - (m) "Warden", in relation to a Hall or Hostel means the Warden thereof under Statute 28(2);
  - (n) "Dean" means the Dean appointed by the Director under Statute 14;
  - (o) "Finance Committee" means the Finance Committee of the Institute under Statute 8;
  - (p) 'Head' or 'Chair' in relation to a Department or Discipline or Centre or School means the Head thereof;
  - (q) "Ordinances" means the Ordinances of the Institute;
  - (r) "Senate" means the Senate of the Institute under Statute 7;
  - (s) "Programme" means an academic programme of the Institute;
  - (t) "Rules" means the rules made under the Act;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**3. Authorities :-**

The following shall be the authorities of the Institute, namely –

- (i) The Board of Governors as constituted under section 4 of the Act;
- (ii) The Senate as constituted under section 7 of the Act;
- (iii) The Finance Committee as constituted under section 8 of the Act;
- (iv) The Building and Works Committee as constituted under section 9 of the Act.

**4. The Board of Governors :-**

Subject to the provisions of the Act,

- (1) The Board of every Institute shall have the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute.
- (2) The Board shall lay down norms in regard to the following, namely :-
  - (a) Providing academic support to other scientific and technical institutions;
  - (b) Collaboration with foreign and Indian educational and research institutions;
  - (c) Providing industrial consultancy; and
  - (d) acceptance of donations;
- (3) The Board shall lay down the policy regarding the limit of expenditure to be incurred and the approval thereof in case of minor and capital works and repair and maintenance of estate and works.
- (4) The procedure for the constitution and the meetings of the Board shall be as follows, namely:-
  - (a) The Authorities entitled to nominate or elect representatives on the Board shall be invited by the Registrar to do so, within a reasonable time not ordinarily exceeding eight weeks from the date on which he issues such invitations. The same procedure shall be followed for filling casual vacancies on the Board;
  - (b) The Board shall meet as often as may be necessary but atleast four times during a calender year;
  - (c) Meetings of the Board shall be convened by the Chairperson either on his own initiative or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than three members of the Board;
  - (d) One half of total members including one member from outside the Institute shall form a quorum for a meeting of the Board.

Explanation:- for the purpose of this clause, “member from outside” means a nominee of Council, Central Government other than Chairman and/or Director of other IISERs;

- (e) All questions considered at the meetings of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting including the Chairperson. If the votes be equally divided, the Chairperson shall have a casting vote;
- (f) The Chairperson, if present, shall preside at every meeting of the Board. In his absence, the members present shall elect one from amongst themselves to preside at the meeting;
- (g) The notice of every meeting shall be sent by the Registrar to every member at least fifteen days before the date of the meeting. The notice shall state the place, date and time of the meeting;  
Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Board at short notice to consider urgent special issues.  
Explanation: For the purpose of this clause “Special Meeting” means a meeting with an issue of extra ordinary urgency on its agenda and “Short notice” means a notice of less than fifteen days.
- (h) The notice may be delivered either by hand or sent by registered post or e-mail or fax at the address of each member as recorded in the office of the Board and if so sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post, e-mail or fax;
- (i) Agenda of a meeting of the Board, other than the Special meeting called on short notice, shall be circulated by the Registrar to the members at least ten days prior to the meeting;
- (j) Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least one week prior to the meeting. The Chairperson may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received;
- (k) If any dispute or question relating to procedure arises, the Chairman shall decide and the same shall be binding on the members;
- (l) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be drawn up by the Registrar with the approval of the Chairperson and circulated to all members of the Board. The minutes along with amendments, if any suggested, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Board. After the minutes are confirmed and signed by the Chairperson, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Board and the Council at all times during office hours;
- (m) (i) If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Board he or she shall cease to be a member of the Board;

- (ii) Any business which may be necessary for the Board of Governors to perform may be carried out by circulating appropriate resolution thereon among its Members and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board.
- (n) The Board may delegate such of its powers to the Director, as may be deemed appropriate by it. However, the Director shall report to the Board of the action taken by him or her at its next meeting.
- (o) The term of the two Professors of the Institute to be nominated by the Senate as a member of the Board under sub-section (h) of Section 11 A, of the Act shall be two years from the date of his or her nomination.

#### **5. Powers of the Board**

In addition to the powers provided in the Act, the Board shall have the following Powers, namely:-

- (1) to abolish any post in the institute, not specifically mentioned in the Act.
- (2) to modify the statutes with the approval of the Central Government from time to time:  
Provided that modified Statute, shall be applicable only after the assent of the Visitor; and
- (3) to recommend modification of any ordinances on the recommendation of the Finance Committee or Senate of the Institute subject to the condition that such modifying shall not be in contravention of the Act or the Statute framed thereunder.

#### **6. Authentication of Orders and Decisions of the Board**

All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Registrar, or any other person authorised by the Board on its behalf.

#### **7. The Senate**

- (1) In addition to the persons mentioned in section 14 of the Act, the following shall be the members of the Senate, namely:-
  - (a) the Heads or Chairs of the Departments or Disciplines or Academic Centres or Schools other than Professors;
  - (b) the Deans and Associate Deans other than Professors;
  - (c) the Librarian of the Institute;
  - (d) one Warden by rotation to be nominated by the Director for a period of one calendar year;
  - (e) not more than six other members of the academic staff for their special knowledge approved by the Chairperson, Board on the recommendations of the Director for a period of two calendar years or as may be specified by the Chairperson, Board in this behalf.
  - (f) two student representatives specially invited for specific discussion but not involving policy or disciplinary matters in the Senate meetings.
- (2) Subject to the provisions of the Act, the Senate shall have the following powers, namely:-
  - (a) frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various Academic Departments or Disciplines or Centres or Schools;
  - (b) make arrangements for the conduct of examination, declare the results of the examinations or to appoint Committees or officers to do so and to make recommendations to the Board regarding conferment or grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles;
  - (c) appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for the Academic Departments or Disciplines or Centres or Schools and the Academic Centres of the Institute to make recommendation on academic matters connected with the working of the Academic Departments or Disciplines or Centres or Schools. The Head of the Academic Departments or Disciplines or Centres or Schools concerned shall act as convenor of such Committees;
  - (d) appoint Committees from amongst the members of the Senate, other teachers of the Institute and experts from outside to advise on such specific academic matters, as may be referred to any such Committee by the Senate;
  - (e) consider the recommendations of the Advisory Committee attached to various Academic Departments or Disciplines or Centres or Schools and that of Expert and other committees and take such action (including the making of recommendations to the Board) as circumstances of each may require;
  - (f) review periodically the activities of the Academic Departments or Disciplines or Centres or Schools and

- take appropriate action (including the making of recommendations to the Board);
- (g) supervise the working of the Library;
  - (h) promote research within the Institute and require reports on such research from the persons engaged thereon;
  - (i) provide for the inspection of the classes and the Hostels in respect of the instructions and discipline therein, supervise the co-curricular activities of the students of the Institute and submit reports thereon to the Board;
  - (j) award stipends, scholarships, fellowships, medals and prizes and make other awards in accordance with the Ordinances and such other conditions as may be attached to the award;
  - (k) make recommendations to the Board with regard to –
    - (i) the creation of posts on the academic staff and the abolition thereof, and
    - (ii) the duties attached to such posts;
  - (l) make recommendations to the Board, relating to the overall Academic development of the Institute, with regard to –
    - (i) the establishment of the Academic Departments or Disciplines or Centres or Schools and the abolition thereof; and
    - (ii) the allocation of academic and other staff to such Academic Departments or Disciplines or Centres or Schools;
  - (m) provide support to other scientific or technical or professional institutions in furtherance of their academic standards;
  - (n) conduct outreach through distance learning mode to enhance the academic and research productivity of the Institute; and
  - (o) frame such regulations and rules consistent with these Statutes and the Ordinances regarding the academic functioning of the Institute, discipline, residences, admissions, award of fellowships and studentships, fee concessions, corporate life and attendance.
- (3) The Senate shall meet as often as necessary, but not less than four times during a calendar year.
  - (4) Meetings of the Senate shall be convened by the Chairperson of the Senate either suo motu or on a requisition signed by not less than one fifth of the members of the Senate.  
The requisitioned meeting shall be a special meeting to discuss only those items of the agenda for which requisition is made. The requisitioned meeting shall be convened by the Chairperson of the Senate within fifteen days of the notice given for such a requisition.
  - (5) One third of the total number of members of the Senate shall form a quorum for a meeting of the Senate.
  - (6) The Director, if present, shall preside at every meeting of the Senate. In his absence, the Deputy Director shall preside and in the absence of both the Director and the Deputy Director, the senior-most of the Deans present shall preside at the meeting failing which, the senior-most of the Professors present shall preside at the meeting.
  - (7) A notice of every meeting along with the agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Senate at least a week before the meeting. The Chairperson of the Senate may permit the inclusion of any item for which due notice could not be given.
  - (8) Notwithstanding the provisions of clause (7) above, the Director may call an emergency meeting of the Senate at short notice to consider urgent special issues.
  - (9) The ruling of the Chairperson of the Senate in regard to all questions of procedure shall be final.
  - (10) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Registrar with the approval of the Chairperson of the Senate and circulated to all the members of the Senate.
  - (11) In emergent cases the Chairperson of the Senate shall exercise the powers of the Senate and report to the Senate of the action taken by him at its next meeting for its approval.

#### **8. The Finance Committee**

- (1) There shall be a Finance Committee for each Institute consisting of the following members namely:-
  - (1) the Chairperson of Board of Governors, ex officio - Chairperson;
  - (2) two persons nominated by the Central Government - members

- (3) two persons nominated by the Board - members; and
- (4) the Director, ex officio; member
- (2) The term of office of a member nominated under Serial number (3) of clause (1) shall be two years from the date he or she is nominated.
- (3) The Finance Committee shall perform the following functions, namely:-
  - (a) to examine and scrutinise the annual budget of the Institute prepared by the Director and make recommendations to the Board;
  - (b) to give its views and make its recommendations to the Board either on the initiative of the Board or of the Director, or on its own initiative on any financial question affecting the Institute;
  - (c) to consider and make its recommendations to the Board on all such matters connected with the Institute that have financial implications.
- (4) The Finance Committee shall meet as often as may be necessary but at least thrice a year.
- (5) Four members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee.
- (6) The Chairperson, if present, shall preside over the meeting of the Finance Committee. In his absence, the members present shall elect one from amongst themselves but Director and ex-officio members, to preside over the meeting.
- (7) The provisions in the above Statutes regarding notices of the meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall, so far as may be, be applicable in connection with the meetings of the Finance Committee.
- (8) A copy of the minutes of every meeting of the Finance Committee shall be sent to the Board.
- (9) In emergent cases, the Chairperson may exercise the powers of the Finance Committee and report the action taken by him at the next meeting of the Finance Committee for its ratification.

#### **9. The Building and Works Committee**

- (1) There shall be a Building and Works Committee for each Institute consisting of the following members, namely:-
  - (a) the Director, ex-officio, Chairperson;
  - (b) the Deputy Director, ex officio, member;
  - (c) a reputed architect [other than the one hired by the institute for any ongoing work] nominated by the Chairperson; Board of Governors, member;
  - (d) one person nominated by the Board of Governors from amongst its members, member;
  - (e) one Civil Engineer, not below the rank of Superintending Engineer, nominated by the Board from a Government Department or Agency or Autonomous Body, member;
  - (f) one Electrical Engineer, nominated by the Board from a Government Department or Agency or Autonomous Body, member;
  - (g) the Registrar, Ex-officio, member.
  - (h) the Institute Engineer or the Officer In-charge of Estate of the Institute, as the case may be, Ex-officio, member;
  - (i) the Institute Engineer or the officer In-charge of Estate of the Institute, as the case may be, shall be the Member Secretary;
  - (j) In the absence of Institute Engineer the Registrar shall be the Ex-officio Member Secretary.
  - (k) The Member Secretary shall not have the right to vote.
- (2) (a) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he or she is a member.  
 (b) The term of office of the other members nominated as above shall be two years from the date he or she is nominated.
- (3) The Building and Works Committee shall have the following powers and shall perform the following functions, namely:-
  - (a) It shall be responsible under the direction of the Board for construction of all major capital works after securing from the Board the necessary administrative approval and expenditure sanction;

- (b) It shall have the power to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to maintenance and repairs, within the expenditure limit approved by the Board and within the grant placed at the disposal of the Institute for the purpose;
  - (c) It shall cause to be prepared estimates of the cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like;
  - (d) It shall be responsible for making technical scrutiny, as may be considered necessary by it;
  - (e) It shall be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give direction for departmental works wherever necessary;
  - (f) It shall have the powers to settle rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors.
  - (g) It shall be responsible to make procurement or processing of work order, as far as possible, through e-procurement, as per approved procurement manual of the Institute, in absence of procurement manual, guidelines issued in the General Financial Rules (GFR) of the Government of India shall be followed and in case of any contradiction, GFR shall prevail.
- (4) The Building and Works Committee shall perform such other functions in the matter of construction of buildings and development of land for the Institute as the Board may entrust to it from time to time.
  - (5) In emergent cases, the Chairperson of the Building and Works Committee may exercise the powers of the Building and Works Committee. Such cases shall be reported by him to the Building and Works Committee at its next meeting.
  - (6) The Building and Works Committee shall meet as often as is necessary, but not less than twice a year.
  - (7) One-half (1/2) of total members shall form a quorum for a meeting of the Building and Works Committee of which atleast one should be external member.
  - (8) The provisions regarding notices of meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Building and Works Committee shall be similar to Board of Governors meetings.
  - (9) A copy of the minutes of every meeting of the Building and Works Committee shall be sent to the Board for necessary concurrences and approval.

#### **10. The Chairperson, Board of Governors**

1. The Chairperson shall have the power to fix, on the recommendations of the Selection Committee, the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale in respect of posts to which appointments can be made by the Board under the provisions of the Act.
2. In emergent cases, the Chairperson may exercise the powers of the Board and inform the Board of the action taken by him for its approval in its next meeting.
3. All the regular appointments for the positions classified as group 'A' (Pay Band III and above) or equivalent positions shall be approved by the Chairperson, Board of Governors on the recommendations of the selection committees constituted for this purpose as per the provisions of the Act and Statutes of the Institute. The same shall be reported to the Board of Governors at its subsequent meeting(s).

#### **11. The Director**

1. The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis on the recommendation of a Selection Committee constituted by the Visitor consisting of at least five members including the Chairman. Members shall be experts in the field of administration, Science and Technical Education with experience at national and international level. Chairman, Council shall be the Chairperson of the Selection Committee.
2. The Director shall be appointed for a period of five years and shall be governed by the terms and conditions of the Contract of Service entered into between the Institute and the Director in such form as specified in **Schedule – A**.
3. Subject to the budget provisions made for the specific purpose, the Director shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down by the Board from time to time.
4. The Director shall have the power to re-appropriate the funds with respect to different items constituting the recurring budget upto such limit for each item as may be determined by the Board from time to time;

Provided that such re-appropriation will not involve any liability in future years. every such re-appropriation shall, as soon as possible, be reported to the Board.

5. The Director shall have the power to write off irrecoverable losses and irrecoverable value of stores lost or rendered unserviceable due to fair wear and tear on the recommendation of Finance Committee or a Standing Committee appointed by the Board for such purpose subject to such financial limit, as may be specified by the Board from time to time.

Provided that in the absence of such limit general procedure laid down in Delegation of Financial Powers Rules of the Government of India for such purpose, shall be followed

6. The Director shall have the power to fix, on the recommendation of the Selection Committee, the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale, but not involving more than five increments, in respect of such posts to which appointment can be made by him or her as stipulated by the Board in accordance with the Act.

All the regular or contractual appointments for the positions classified as group 'B' and 'C' (Pay Band II and Below) or equivalent positions shall be approved by the Director on the recommendations of the selection committee constituted for this purpose as per the provisions of the Act or Statutes of the Institute. The same shall be reported to the Board of Governors at its subsequent meeting(s).

7. The Director shall have the power to send the members of the staff for training or for a course of instruction subject to such terms and conditions as may be laid down by the Board from time to time in India. If it is outside India, it shall be reported to the Board, separately.
8. The Director shall have the power to sanction remission or reduction of rent for buildings rendered wholly or partially unsuitable and to be reported to Finance Committee.
9. The Director shall have the power to sanction temporary allocation of any building for any purpose other than that for which it was constructed.
10. In exceptional cases, subject to availability of funds from its own sources, the Director shall have the power to create temporary posts with the approval of the Chairperson, Board, of not more than two years duration on consolidated pay under report to the Board provided that no such post, of which the Director is not the appointing authority, shall be so created. Provided further that the number of such posts so created shall be kept to the minimum and shall in no case exceed the overall ceiling of the sanctioned posts
11. The Director shall have the power of a Head or Chair of Department for purposes of applicability of financial rules in the Account Code, in case of deviation due concurrence of the Statutory Auditor and Board shall be obtained.
12. If, for any reason, the Registrar is temporarily absent for a period not exceeding one month, the Director may take over, or assign to any member of the staff of the Institute, any of the functions of the Registrar, as he deems fit. Provided that if, at any time, the temporary absence of the Registrar exceeds one month the Board may, if it thinks fit, authorise the Director to take over or assign the function of the Registrar as aforesaid, for a period exceeding one month.
13. The Director may, during his absence from the headquarters, authorise the Deputy Director or one of the Deans or the senior most Professor present, to sanction advances for travelling allowance, contingencies and medical treatment of the staff and sign and countersign bills on his behalf and authorise him for assuming such powers of the Director as may be specifically delegated to the Deputy Director or one of the Deans or the senior most Professor present, by him in writing.
14. The Director may, at his discretion, constitute such Committees as he may consider appropriate for smooth functioning of the institute and to report to the Board in the next meeting.
15. In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation, or otherwise, or in the event of the Chairperson being unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Director may discharge the functions assigned to the Chairperson under these Statute with prior approval of the Central Government.
16. The Director may, with the approval of the Board, delegate any of his powers, responsibilities and authorities vested in him by the Act and Statutes to one or more members of academic or administrative staff of the Institute.
17. All contracts for and on behalf of the Institute shall be made in the name of the Institute and every such contract shall normally be executed by the Director on behalf of the Institute. The official entering into the academic and research contracts other than administrative contract shall not be held personally



liable in respect of anything under such contract.

#### 12. The Deputy Director

1. The Deputy Director shall be appointed by the Board from amongst the Professors of the Institute, on recommendation of the committee constituted by the Chairperson, Board of Governors and for such purpose Director shall be head of such committee, on such terms and conditions as may be decided by the Board from time to time.
2. The appointment shall be for a period of three years initially which may be extended for one more term with the approval of the Chairperson, Board of Governors.
3. He shall be eligible for honorarium and perquisites as specified by the Central Government or Board from time to time.
4. The Deputy Director shall assist the Director in academic and administrative work and in liaising with other institutions of higher learning and research and also with industrial undertakings and other employers.

#### 13. Registrar

1. The Registrar shall be appointed for a fixed term not exceeding five years either on deputation or on contract basis.
2. The Registrar shall act as Secretary of the Board, Senate and such other committees to which he may be required by the Act and/or Statutes to act as such.

#### 14. The Deans

The Institute may have the positions of Deans with the approval of the Board of Governors, in the areas of Academic Affairs, Students' Affairs, Faculty Affairs, Research and Development, International Relations and Outreach etc.

1. The Director may appoint Deans and Associate Deans to assist him in discharging his duties and responsibilities, in consultation with the Chairperson, Board of Governors from amongst the faculty members with sufficient seniority for a period not exceeding three years. They shall hold their offices at the pleasure of the Director.
2. The Deans and the Associate Deans shall be deemed to be the officers of the Institute and will enjoy such powers and perform such duties as may be delegated to them by the Director with the prior approval of the Board. The Associate Deans shall normally assist the respective Deans in the performance of their duties.

#### 15. Classification of the Employees of the Institute

1. The Employees of the Institute, except in the case of employees paid from contingencies, shall be classified as follows :-
  1. **Academic Staff:** The "Academic staff" shall include the Director, Deputy Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Librarian, Deputy Librarian, Assistant Librarian and such other posts as may be decided by the Board from time to time in this regard.
  2. **Scientific Staff:** The "Scientific Staff" shall include Chief Scientific Officer, Principal Scientific Officer, Senior Scientific Officer, Scientific Officer, Scientific Assistant and such other posts as may be decided by the Board from time to time in this regard.
  3. **Technical Staff:** The "Technical Staff" shall include Research Engineer or Instrumentation Engineer or Computer Engineer, Workshop Superintendent, Assistant Superintendent Workshop, Technical Officer, Senior Technical Assistant, Technical Assistant and such other posts as may be decided by the Board from time to time in this regard.
  4. **Engineering Staff:** The "Engineering Staff" shall include Superintending Engineer, Executive Engineer, Assistant Engineer, Junior Engineer and such other posts as may be decided by the Board from time to time in this regard.
  5. **Medical and Paramedical Staff:** The "Medical and paramedical Staff" shall include Chief Medical Officer, Medical Officer, Senior Pharmacist, Pharmacist, Nurses and such other posts as may be decided by the Board from time to time in this regard.
  6. **Professional Staff:** The "Professional Staff" shall include Sports Officer, Assistant Sports Officer, Assistant Counselor, Physical Training Instructor, Physical Education Trainer, Assistant Coach and such other posts as may be decided by the Board from time to time in this regard.

7. **Laboratory Staff:** The “laboratory Staff” shall include Senior Laboratory Assistant, Laboratory Assistant, Laboratory Technician, Laboratory Attendant and such other posts as may be decided by the Board from time to time in this regard.
8. **Administrative and Ministerial Staff:** The “Administrative and Ministerial Staff” shall include the Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Estate Officer, Sr. Security Officer, Security Officer, Assistant Security Officer, Public Relations Officer, Central Purchase Officer, Stores Officer, Internal Audit Officer, Personal Secretary to Director, Personal Assistant, Assistant, Junior Assistant (Multi Skill), Junior Office Assistant (Multi Skill), Office Assistant (Multi Skill), Junior Superintendent, Superintendent, Senior Stenographer, Stenographer, Senior Store Keeper, Store Keeper, Helper and such other posts as may be decided by the Board from time to time in this regard.
9. Each of the above posts shall be further classified as Group-A (Pay Band III and above), Group-B and Group-C (Pay Band II and below) based on the Pay Band and Grade Pay attached to the each post on the sanctioned strength.

**Note:** An employee shall not be entitled to equal treatment merely on the ground of being grouped in a particular class. The terms and condition of each post shall be determined strictly as per recruitment rules or condition of service already prescribed.

#### 16. Appointments

1. All posts at the Institute shall normally be filled by advertisement. The Board shall have the power to decide, on the recommendations of the Director, that a particular academic post be filled by invitation or by promotion from amongst the members of the staff of the Institute.
2. (i) The Institute shall make necessary provisions for the reservation of posts as laid down by the Board not inconsistent with the Act and rules made by the Central Government from time to time.  
(ii) The appointing authority shall consistently uphold the maintenance of efficiency of administration and the teaching at the Institute while making appointments to such posts.
3. The Selection Committees for filling up of posts under the Institute (other than the posts on contract basis) by advertisement or by promotion from amongst the members of staff of the Institute shall be constituted in the manner laid down below, namely :-
  - (a) The Board of Governors shall recommend a panel of names, school or department wise for approval of the Council. The institute shall draw names for constituting the committee from the list approved by the Council. In the case of posts of Professor, the Selection Committee shall consist of the following members, namely:-
 

(1) The Director	Chairperson
(2) An expert, nominee of the Council	Member
(3) A minimum of two expert nominees of the Board (external nominees)	Members
  - (b) In the case of posts of Associate Professor, Assistant Professor, equivalent posts in scientific cadre and Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian and such other academic posts, the Selection Committee shall consist of the following, namely:-
 

(1) The Director	Chairperson
(2) A minimum of two nominees of the Board, at least one being an expert.	Members
(3) The Head of the Department or Discipline or Centre or School concerned, if the post for which selection is made is lower in status than that occupied by the Head of the Department or Discipline or Centre or School	Member
  - (c) In the case of posts of Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Institute Engineer, Sports Officer, Assistant Sports Officer, Chief Medical Officer and Medical Officer, the Selection Committee shall consist of the following members, namely :-
 

(1) The Director	Chairperson
(2) The Deputy Director, if available	Member
(3) Two nominees of the Board, at least one being expert	Members

- |  |             |
|--|-------------|
| (4) The Registrar, except for the post of Registrar  | Member      |
| (d) In the case of other Group 'A' posts not covered by sub-clauses (a), (b) or (c) above, the Selection Committee shall consist of the following members, namely :- |             |
| (1) The Director   | Chairperson |
| (2) A nominee of the Board   | Member      |
| (3) The Head of the Department or Discipline or Centre or School concerned or Registrar as the case may be   | Member      |
| (4) An expert from among the officials of the Institute nominated by the Director.   | Member      |
| (e) In the case of other Group B and C or below posts not covered by categories mentioned above, the Selection Committee shall consist of the following:-            |             |
| (1) The Director's nominee   | Chairperson |
| (2) The Head of the Department or Academic Centre concerned or the Registrar as the case may be  | Member      |
| (3) An external expert as the nominee of the Board   | Member      |

The Selection Committee for appointments to the posts reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates shall include one Scheduled Castes or Scheduled Tribes member and one Other Backward Classes member from a panel approved by the Board.

4. In the absence of the Director, any officer of the Institute, who is appointed to perform the current duties of the Director, shall be the Chairperson of the Selection Committees in the place of the Director.
5. In the absence of the Deputy Director, the Director may nominate any Officer of the Institute to work on the Selection Committees in his place.
6. Where a post is to be filled on contract basis or by invitation, the Chairperson, Board of Governor may, at his discretion, constitute such adhoc Selection Committees, as circumstances of each case may require.
7. Where a post is to be filled by promotion from amongst the members of the Institute or temporarily for a period not exceeding twelve months, the Board shall lay down the procedure to be followed.
8. Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board shall have the power to make appointments of persons trained under "approved" programmes in such manner as it may deem appropriate. The Board shall maintain a schedule of such "approved" programmes.
9. If the post is to be filled by advertisement, the terms and conditions of the post shall be advertised and all applications received within the date specified in the advertisement shall be considered by the Selection Committee;

Provided that the Selection Committee may for sufficient reasons, as it deems fit, consider any application received after the date so specified.

Provided further that, there shall be a rolling advertisement subject to availability or anticipation of vacancy on the Web-Site of the Institute for various faculty positions and the applications received from time to time may be considered by the appropriate Departmental Committees and their recommendations sent to the Director for taking appropriate action in accordance with the procedure laid down by the Board from time to time.

10. The Selection Committee shall examine the credentials of all persons who have applied and may also consider other suitable names suggested, if any, by a member of the Selection Committee or brought otherwise to the notice of the Committee. The Selection Committee may interview any of the candidates, as it thinks fit, and shall, at the discretion of its Chairperson, cause a written test or tests including an oral presentation to be held for all or some of the candidates as the Chairperson may think fit, and shall make

its recommendations to the Chairperson, Board or the Director, as the case may be, with the names of the selected candidates being arranged in order of merit.

11. No act or proceeding of any Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee to whom notice with reasonable time for such meeting have been served.
12. Unless otherwise provided for under these Statutes, a Selection Committee constituted for the purpose of making recommendations for appointment to a post shall be eligible to exercise its functions in relation to that post until the time the appointment is made.
13. A candidate applying for a post other than faculty and academic posts under the Institute shall be charged such application fees as may be determined by the Board from time to time.

Provided that nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Board or Council from time to time in this regard.

14. Candidates selected for interview for a post under the Institute may be paid such travelling allowance as may be determined by the Board from time to time in this behalf.
15. All appointments made at the Institute shall be reported to the Board at its subsequent meeting (s).

**17. General Terms and Conditions of Service of Permanent Employees**

The permanent employees of the Institute shall be governed by the following terms and conditions, namely:-

1. Subject to the provisions of the Act and the Statutes, all appointments to posts under the Institute shall ordinarily be made on probation for a period of one year after which period the appointee, if confirmed, shall continue to hold his office subject to the provisions of the Act and the Statutes, till the end of the month in which he attains the age of superannuation as decided by the Council and/or the Central Government from time to time:

Provided that the period of probation of any appointee for such periods, as may be deemed necessary, may be extended by the appointing authority.

Provided further that, where the Board considers that in the interest of the students and for the purpose of teaching and guiding the students registered for any Ph.D. programme, any member of the academic staff should be re-employed, it may re-employ such a member till the end of the semester or the academic session, as it thinks fit, in the circumstances of each case.

Provided, further that where it becomes necessary to re-employ any such member beyond the end of the semester or academic session, as the case may be, the Board may re-employ any such member for such period as may be considered necessary in consistence with the rules of the Central Government.

2. Every appointment shall be subject to the condition that the appointee is certified as being in sound mental health and is physically fit for service in India by a medical authority nominated by the Board in this behalf.

Provided that the Board may, for sufficient reasons, relax the medical requirements in any particular case or class of cases, subject to such conditions, if any, as may be laid down by the Board.

3. At any time, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, an employee may retire from service on the terms and conditions and rules and regulations laid down by the Central Government from time to time for its own employees.
4. Every employee of the Institute shall devote his whole time to the service of the Institute and shall not engage, directly or indirectly, in any trade or business or political party activity or any other work which may interfere with the proper discharge of his duties, other than the academic work and consultative practice undertaken with the prior permission of the Director, and/or in accordance with the procedures laid down by the Board from time to time in this behalf.
5. The appointing authority shall have the power to terminate the services of any member of the staff without notice and without any cause assigned thereto during the period of probation.
6. The appointing authority shall have the power to retire or terminate the services of any member of the staff by giving three months' notice or on payment of three months' salary in lieu thereof, if certified on medical grounds, by the medical authority nominated by the Board, his retention in service is considered not viable or undesirable by such appointing authority.

7. The appointing authority shall have the right to retire the employee before superannuation as premature retirement in accordance with the provisions of Central Civil Services (Retirement) Rules, as applicable to the Central Government employees from time to time.
8. An employee may retire from services on account of any bodily or mental infirmity that permanently incapacitates him from service subject to the following conditions, namely:-
  - (i) the employee shall submit his application through proper channel and produce a medical certificate from medical authority as may be specified by the Board in this behalf;
  - (ii) Provided that the medical report issued by the medical authority shall not be later than the date of retirement.
9. The Board shall have the power to terminate the services of any member of the staff on grounds of retrenchment or economy by giving to the person concerned six months' notice in writing or on payment of six months' salary in lieu thereof.
10. An employee of the Institute may terminate his engagement by giving the appointing authority three months' notice;
 

Provided that the appointing authority may for sufficient reasons, either reduce this period or call upon the employee concerned to continue till the end of the academic session in which the notice is received.
11. The employees of the Institute shall be entitled to travelling and daily allowances as per their entitlement as specified by the Central Government or Board.
12. The employees of the Institute shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on themselves and their dependents in accordance with the Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944 and as per the special provisions, schemes for medical insurance, recognition of medical service providers and as per the rates as approved by the Board of Governors from time to time.
13. The employees of the Institute shall be governed by the Conduct Rules as framed under these Statutes, in addition to the conduct rules specified under Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 as laid down by the Central Government for its employees from time to time.

#### **18. Suspension, Penalties, Disciplinary proceedings**

(1) The Director may place a member of the staff appointed at the Institute under suspension:-

- (i) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
- (ii) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial:

Provided that where a member of the staff is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours, such member of the staff shall be deemed to have been placed by an order of the competent authority under suspension with effect from the date on which he was so detained.

- (2) During the period of suspension, the member of the staff shall be entitled to the following payments, namely:-
  - (a) a subsistence allowance at an amount equal to the Leave salary which the staff member would have drawn had he been on leave on half pay and Dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds six months, the subsistence Allowance shall be as follows:

- (i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of the first six months, if, in the opinion of the Competent Authority the period of suspension has been prolonged for reasons, to be recorded in writing, not directly attributable to the employee concerned;
- (ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of the first six months, if, in the opinion of the Competent Authority the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the employee;
- (b) The rate of dearness allowance will be based on the increased or as the case may be the decreased amount of subsistence allowance admissible under sub-statute 2.
- (c) Any other compensatory allowance admissible from time to time on the basis of pay of which the staff member was in receipt of on the date of suspension subject to the fulfillment of other conditions laid down for the drawal of such allowances.
- (3) No payment shall be made unless the staff member furnished a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.
- (4) The Board of Governors may, if it is of the opinion, that the circumstances of the case do not warrant the

suspension of the member of the staff, revoke such order.

(5) The following penalties may be imposed on any employee:-

- (i) censure;
  - (ii) withholding of increments of pay;
  - (iii) withholding of promotion;
  - (iv) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Institute by negligence or breach of orders;
  - (v) reduction to lower grade or post or to a lower time-scale of pay, or to a lower stage in time-scale for a period of three years without cumulative effect and not adversely affecting his pension (where ever applicable);
  - (vi) compulsory retirement;
  - (vii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Institute;
  - (viii) Dismissal from service, which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Institute;
- (6) No order imposing on any member of the staff any of the penalties specified at (v) to (viii) above shall be passed by any authority subordinate to that by which he was appointed and except after an enquiry has been held and the member of the staff has been given reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in this regard.
- (7) No order imposing on any member of the staff any of the penalties specified at (i) to (iv) above shall be passed by any authority subordinate to that by which he was appointed and unless the member of the staff concerned has been given an opportunity to make a representation to the appointing authority:

Provided that the provisions of sub-statute (5) and (6) shall not apply to the following:-

- (a) Where an employee is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge;
  - (b) Where the authority empowered to dismiss or remove the person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by the authority in writing, it is not reasonably practicable to give to that person such opportunity; or
  - (c) Where the Visitor is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to give to that person such opportunity.
- (8) If, in respect of such person as aforesaid, any question arises whether it is reasonably practicable to give an opportunity referred to under sub clause (b) under clause 7, the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank, as the case may be, shall be, final.
- (9) A member of the staff aggrieved by any order imposing penalty passed by the Director against him shall be entitled to prefer an appeal to Board of Governors against the order and there shall be no further appeal from the decision of the Board.
- (10) A member of the staff aggrieved by any order passed by the Board inflicting a penalty on him shall be entitled to prefer an appeal to the Visitor against such order.
- (11) No appeal shall be entertained by the Board of Governors or the Visitor, as the case may be, unless it is made within a period of three months from the date on which member of the staff aggrieved by such order receives a copy of the order appealed against:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not submitting the appeal in time.

- (12) The authority to whom an appeal against an order imposing penalty lies may, of its own motion or otherwise call for the records of the case from the Director or the Board, as the case may be, review any order passed in such a case and pass such orders as it deems fit.
- (13) Notwithstanding anything contained in this Statute, the Visitor may, on his own motion or otherwise after calling for the records of the case, review any order which is made under this Statute, and
  - (a) confirm, modify or set aside the order;
  - (b) impose any penalty or set aside, reduce, confirm or enhance the penalty imposed by the order;
  - (c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such further action or enquiry as he considers proper in the circumstances of the case, or
  - (d) pass such other orders as he deems fit:

Provided that an order imposing or enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty.

- (14) (a) When a member of the staff of the Institute who has been dismissed, removed or suspended is reinstated, the authority competent to order the reinstatement shall consider and make a specific order:-
- (i) regarding the pay and allowances to be paid to the member of the staff of the Institute for the period of his absence from duty; and
  - (ii) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty;
  - (b) whether such competent authority holds that the member of the staff of the Institute has been fully exonerated or in case of suspension, that it was wholly unjustified, the member of the staff of the Institute shall be given the full pay to which he would have been entitled had he not been dismissed, removed or suspended, as the case may be, together with any allowance of which he was in receipt prior to his dismissal, removal or suspension;
  - (c) In other cases, the member of the staff of the Institute shall be given such proportion of such pay and allowances as the competent authority may specify:  
Provided that the payment of allowances under clause (b) or clause (c) shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible;
  - (d) In cases falling under sub clause (b) the period of absence from duty shall be treated as a period spent on duty for all purposes;
  - (e) In cases falling under sub clause (c) the period of absence from duty shall not be treated as a period spent on duty unless such competent authority specifically directs that it shall be so treated for any specified purpose.

#### **19. General Terms and Conditions of Service of Temporary Employees**

1. The services of a temporary employee shall be liable to termination at any time by notice in writing given either by the employee to the appointing authority, or by the appointing authority to the employee. The period of such notice shall be one month, unless otherwise agreed to by the Institute and the Employee.
2. The other terms and conditions of service of such employee shall be such as may be specified by the appointing authority in his letter of appointment.
3. All the temporary employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services Temporary Service Rules, 1965 as amended by Central Government from time to time in addition to the rules as laid down by the Board of Governors of the Institute.

#### **20. Appointment on Contract**

1. Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board may, with the prior approval of the Chairperson, Council, in special circumstances appoint an eminent person in the academics or research on contract for a period not exceeding five years which may be extended further.
2. Subject to the provisions of the Act, the Board may appoint any person on contract in the prescribed scales of pay and on the terms and conditions applicable to the relevant posts for a period not exceeding five years which may be extended further. The Chairperson may, if he thinks fit, constitute such adhoc Selection Committees for making such appointments.

#### **21. Resignation**

Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of these First Statutes, a member of the staff of Institute may resign:

- (i) If he is a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to his appointing authority, or by paying three months salary in lieu thereof; and
- (ii) If he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof;

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the appointing authority.

#### **22. Retirement Benefits**

The employees of the Institute shall be governed by the New Pension Scheme (NPS) of the Central Government and the retirement benefits under such a scheme as applicable to the employees of the Central Government from time to time on retirement shall be applicable to the employees of the institute.

**23. Vacation and Leave**

Employees of the Institute shall be entitled to vacation and leave as laid down by the Board failing which as applicable to the employees of the Central Government.

**24. Residential Accommodation for Staff**

1. The employees of the Institute shall be eligible for allotment of a house within the campus of the Institute, if available, in accordance with the rules framed by the Board from time to time under these Statutes.
2. Every employee of the Institute may be allotted an unfurnished house within the campus of the Institute for residential use only, if available, in which he shall be required to reside, subject to such conditions as may be laid down by the House Allotment Rules of the Institute.
3. An employee of the Institute, who has been allotted house for residential use, shall be charged license fee at the rate as fixed by the Board from time to time.
4. In addition to the license fee, water, electricity and charges for any other service rendered shall be recovered from an employee on actual basis or, in cases of extreme hardships, at such rates as may be determined by the Board from time to time.
5. The Board may allot furnished or unfurnished accommodation without levying any license fee or levying such fee at concessional rates to any category of staff, if it considers it necessary to do so in the interest of the Institute.

**25. Departments or Disciplines or Centres or Schools**

The Board may, on the recommendations of the Senate, create or modify or abolish any Department or Discipline or Centre or School or merge it with any other Department or Discipline or Centre or School.

**26. Heads of the Departments or Disciplines or Centres or Schools**

1. Each Department or Discipline or Centre or School of the Institute shall be placed under the charge of a Head who shall be selected by the Director from amongst the Professors or Associate Professors of the Institute;
- Provided that if the circumstances warrant the Director may himself take temporary charge of a Department or Discipline or Centre or School or place it under the charge of the Deputy Director or a Professor from another Department or Discipline or Centre or School for a period not exceeding six months.
2. Subject to the general control of the Director. The Head or Chair of the Department or Discipline or Centre or School shall be responsible for the entire working of the Department or Centre or School.
  3. It shall be the duty of the Head or Chair of the Department or Discipline or Centre or School to see that the decisions of the authorities of the Institute and of the Director are faithfully carried out and shall perform such other duties as may be assigned to him by the Director.
  4. He shall be eligible for honorarium and perquisites as specified by the Central Government or Board from time to time.

**27. Institution of Fellowships, Scholarships, Exhibitions, Medals and Prizes**

The Institute, shall institute and award such stipends, fellowships, scholarships, exhibitions, medals, prizes and other awards to be awarded to the undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral students for different academic programmes as may be specified by the Ordinances consistent with the decisions of the Council and the policies laid down by the Central Government, from time to time.

**28. Fees and Award of Fee Waiver**

1. The Institute shall charge such fees from the undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral students for different academic programmes as may be determined by the Board consistent with the decision of the Council and the policies laid down by the Central Government, from time to time.
2. The Institute shall also award fee waivers to the students and research scholars in accordance with the decision of the Board and consistent with the policy of the Central Government and as per directions of the Council from time to time.
3. The procedure for deposition of fees, fine for delay, entry or deletion of the names from the rolls of the academic programmes of the Institute, and such other matter as may be decided by the Senate, shall be laid down in the Ordinances.



**29. Halls or Hostels**

1. The Institute shall build and maintain Halls or Hostels for the students, including research students who may reside in the Halls or Hostels built in the Institute. The Institute may frame Ordinances for the said purpose from time to time.
2. (i) For each Hall or Hostel, there may be one or more Warden(s) and such number of Assistant Wardens and other staff as may be laid down by the Board.  
(ii) The Director shall appoint the Chief Warden, Wardens, Assistant Wardens and other staff in the Halls or Hostels.
3. The Chief Warden, Wardens, Assistant Wardens and other Staff appointed under sub-clause (2) shall be eligible for honorarium and perquisites as specified by the Central Government or Board from time to time.

**30. Conferment of Honorary Degrees**

1. (i) The Institute may confer honorary degrees for a few exceptional and outstanding persons for their illustrious contribution in their respective fields.  
(ii) All proposals for the conferment of honorary degrees shall be made by the Senate and shall be approved by the Visitor.

**31. Framing of Rules**

1. Notwithstanding anything contained in the above Statutes, the Rules in relation to the under-mentioned Statutes shall be such as may be approved by the Council and not inconsistent with the National Institutes of Technology Science Education and Research Act-2007 and the guidelines of the Central Government, if any.
2. Wherever specific rules, provisions, facilities and the benefits are not promulgated by the Council or the Board of Governors and the Authorities of the Institute, the rules, provisions, facilities and the benefits granted by the Central Government to the Central Government Employees and the Employees of Central Autonomous Bodies, from time to time, on various issues, shall be applicable to the Institute or its employees.
3. The rules, as adopted and/or framed by the Board from time to time, shall continue to be in force subject to any modification or direction of the Council or Central Government.

[F.No.40-29/2012-TS.VII(Vol.II)]

AMITA SHARMA, Addl. Secy.

**THE INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESERARCH (IISERs)****SCHEDULE 'A'**

“WHEREAS in terms of Section 17(1) of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (hereinafter called the Act), the Visitor has been pleased to approve the appointment of the appointee as the Director of the Institute on contract for five years and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing. NOW THESE PRESENTS WITNESSTH and the parties hereto respectively agree as follows:-

- [1] This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.
- [2] The appointee shall be on service under the agreement for a period of five years with effect from date of joining the post or till he attains the age of 65, whichever is earlier.
- [3] The appointee shall be the Principal academic and Executive Officer of the Institute and serve the Institute as the whole time Director of the Institute with powers and duties provided in the said Act.
- [4] The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and will be subject to the Conduct Rules and other provisions of the said Act. Any information obtained by appointee during or in connection with his service and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Officials Secrets Act, 1923, as amended from time to time.
- [5] During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to the Pay Scale of Rs. 80,000 (fixed) provided that if any time the appointee proceeds on deputation out of India, his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Board of Governors in addition, the appointee shall draw allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.

[6] Notwithstanding anything hereinbefore contained, the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

[7] The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes.

[8] The appointee shall be entitled to furnished free of license fee office cum residential accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.

[9] The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per existing rules.

[10] The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowances Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest. If the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance and the scale provided for in the T.A. Rules of the Institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the Rules of the Institute.

[11] Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line. He would also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.

[12] The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Institute at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned. Provided always the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months. The appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.

[13] The appointee will be allowed the status of Professor of the Department of his speciality and take part in teaching and research in the said Department subject to his Convenience.

[14] In respect of any matter for which no provision has been made in his agreement the appointee will be governed by the said National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2012 or any modification thereof for the time being in force and the Statutes to be made thereunder.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairman of the Board of Governors of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has hereinto set his hand.

Signed and delivered for the  
Indian Institute of Science Education and Research  
by the Chairperson,  
Board of Governors of the Institute

In the presence of Signature of Witnesses with addresses Signed and delivered by the said appointee In the presence of  
.....Signature of.....witnesses with  
addresses.....Director, IISER.....